EXPLANATION

EXPLANATION- GS-21 APRIL, 2019

1.B

The first function of a constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst members of a society.

The second function of a constitution is to specify who has the power to make decisions in a society. It decides how the government will be constituted.

The third function of a constitution is **to set some limits on what a government can impose on its citizens.** These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them.

The fourth function of a constitution is to enable the government to fulfill the aspirations of a society and create conditions for a just society.

- 1st and 3rd statements are wrong as a government can presidential or parliamentary. Constitution codifies the authority. But what type of authority will be there depends on the kind of polity fixed in a country.
- 4th statement is incorrect because details of crimes and punishments are codified in Criminal Procedure code and civil procedure code.

संविधान का प्रथम कार्य **आधारभूत नियमों का एक समुच्चय प्रदान करना है जिससे समाज के सदस्यों के मध्य न्यूनतम समन्वय बना** रहे।

किसी संविधान का दूसरा कार्य यह निर्धारित करना है कि किसी समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो। यह तय करता है कि सरकार का गठन किस प्रकार होगा।

एक संविधान का तीसरा कार्य **सरकार द्वारा इसके नागरिकों पर किए जा सकने वाले आरोपणों पर कुछ सीमाएं नियत करना है।** ये सीमाएं इस अर्थ में मौलिक हैं कि सरकार कभी भी इनका अतिक्रमण नहीं कर सकती है।

एक संविधान का चौथा कार्य सरकार को इस बात में सक्षम बनाना है कि **वह समाज की आकांक्षाएं पूरी कर सके और एक न्यायसंगत समाज** हेतु परिस्थितियाँ निर्मित कर पाए।

- पहला और तीसरा कथन गलत है क्योंकि कोई सरकार राष्ट्रपतिमूलक अथवा संसदीय हो सकती है। संविधान प्राधिकार का संहिताकरण करता है। किंत् वहाँ किस प्रकार का प्राधिकार होगा, यह उस देश में प्रचलित राजव्यवस्था पर निर्भर करता है।
- चौथा कथन सही नहीं है क्योंकि अपराधों और दंडों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता और नागरिक प्रक्रिया संहिता में संहिताकरण किया जाता है।

2.C

Formally, the Constitution was made by the Constituent Assembly which had been elected for undivided India. It held its first sitting on 9th December, 1946 and reassembled as Constituent Assembly for divided India on 14 August 1947. Its members were chosen by indirect election by the members of the Provincial Legislative Assemblies that had been established under the Government of India Act, 1935. The Constituent Assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the committee of the British cabinet, known as the Cabinet Mission. According to this plan:

- Each Province and each Princely State or group of States were allotted seats proportional to their respective population roughly in the ratio of 1:10,00,000. As a result the Provinces (that were under direct British rule) were to elect 292 members while the Princely States were allotted a minimum of 93 seats.
- The seats in each Province were distributed among the three main communities, Muslims, Sikhs and general, in proportion to their respective populations.
- Members of each community in the Provincial Legislative Assembly elected their own representatives by the method of proportional representation with single transferable vote.
- The method of selection in the case of representatives of Princely States was to be determined by consultation

औपचारिक रूप से, संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था जिसे अविभाजित भारत हेतु चुना गया था। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और यह 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में पुन: संयोजित हुई। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनावों द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे जिनकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अंतर्गत की गई थी। संविधान सभा का गठन लगभग उसी प्रकार हुआ था जैसा ब्रिटिश मंत्रिमंडल की समिति (जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है) द्वारा प्रस्तावित योजना में सुझाया गया था। इस योजना के अनुसार:

У प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक रियासत अथवा राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी तथा यह अनुपात लगभग 1:10,00,000 का था। इसके परिणामस्वरूप, उन प्रान्तों (जो ब्रिटिश शासन प्रत्यक्ष के अधीन थे) को 292 सदस्य चुनने थे जबिक देशी रियासतों को न्युनतम 93 सीटें आवंटित की गई थी।

- प्रत्येक प्रांत की सीटें तीन मुख्य समुदायों म्स्लिम, सिख और सामान्य के मध्य उनकी जनसंख्या के अन्पात में विभाजित थी।
- प्रांतीय विधान सभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का एकल हस्तांतरणीय मत का प्रयोग कर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चनाव किया।
- देशी रियासतों के मामले में प्रतिनिधियों की चुनाव प्रणाली परामर्श के माध्यम से निर्धारित की गई।

3.A

Universal Adult Suffrage or Adult franchise means that the right to vote should be givento all adult citizens without the discrimination of caste, class, colour, religion or sex. It demands that the right to vote should be equally available among all. To deny any class of persons from exercising this right is to violate their right to equality. सार्वभौम व्यस्क मताधिकार अथवा व्यस्क मताधिकार का अर्थ है कि सभी व्यस्क नागरिकों को जाति, वर्ग, रंग, धर्म अथवा लिंग के भेदभाव के बिना मत का अधिकार दिया जाए। इसके अनुसार मत का अधिकार सभी को समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस अधिकार के प्रयोग से प्रतिबंधित करना उनके समानता के अधिकार का उल्लंघन करना होगा।

4.D

All these democratic countries do not have a written constitution.

- In most countries, 'Constitution' is a compact document that comprises a number of articles about the state, specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow.
- When we ask for the constitution of a country we are usually referring to this document. But some countries, the United Kingdom for instance, do not have one single document that can be called the Constitution.
 Rather they have a series of documents and decisions that, taken collectively, are referred to as the constitution.

इन सभी देशों के पास लिखित संविधान नहीं है।

- अधिकांश देशों में, 'संविधान' एक सुगठित दस्तावेज होता है जिसमें राज्य के संबंध में अनेक अनुच्छेद होते हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि राज्य का गठन किस प्रकार होगा और यह किन नियमों का अनुसरण करेगा।
- जब हम संविधान की चर्चा करते हैं, तब हम सामान्यत: इसी दस्तावेंज की बात कर रहे होते हैं। किंतु कुछ देशों, उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम, के पास ऐसा कोई एकल दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके। इसकी बजाए उसके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक श्रृंखला है जो एक साथ मिलकर संविधान कहलाते हैं।

5.E

Objective resolution was **moved by Jawaharlal Nehru** in 1946 it laid down the basic principles and the ideas on which the Indian constitution has to be made by the assembly. It was the objectives resolution that gave institutional expression to the fundamental commitments that is equality sovereignty and liberty.

उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में जवाहरलाल नेहरु द्वारा लाया गया और इसने उन आधारभूत सिद्धांतों और विचारों की नींव रखी जिनके आधार पर संबिधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जाना था। यह उद्देश्य प्रस्ताव ही था जिसने मूलभूत प्रतिबद्धताओं अर्थात समानता, संप्रभता और स्वतंत्रता को संस्थागत अभिव्यक्ति प्रदान की।

6.D

Before the election of the first legislature, The Constituent Assembly, apart from the function of drafting the Constitution of India, also acted as the interim legislature for making general laws for day to day working of the interim government.

प्रथम विधायिका के चुनाव से पूर्व, संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के साथ-साथ अंतरिम सरकार के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए सामान्य क़ानून बनाने हेतु अंतरिम विधायिका के तौर पर भी कार्य किया।

7.A

Georges Lemaitre

- He was a Belgian cosmologist who in 1927 propounded the Big Bang theory when he theorised that the
 universe began as a single point and expanded to become as big as it is now.
- Lemaitre's thesis was based on calculations derived from Albert Einstein's Theory of General Relativity.

जॉर्ज लेमैत्रे

- ये बेल्जियम के खगोलविद थे जिन्होंने 1927 में बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि ब्रहमांड एक एकल बिंदु के रूप में आरंभ होकर विस्तारित होते हुए वर्तमान जितना विशाल हो गया।
- लेमैत्रे का अनुमान अल्बर्ट आइन्स्टाइन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर की गई गणनाओं पर आधारित था।

8.D

Asia-Pacific Trade Agreement (APTA)

- It aims to promote economic development through the adoption of mutually beneficial trade liberalization measures
- It is a Preferential Trade Agreement, under which the basket of items as well as extent of tariff concessions
 are enlarged during the trade negotiating rounds which are launched from time to time.
- It was previously named the Bangkok Agreement
- It was signed in 1975 as an initiative of United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
- APTA is the only operational trade agreement linking China and India

Membership

- Bangladesh
- China
- India
- Mongolia
- South Korea
- Laos
- Sri Lanka

एशिया-प्रशांत व्यापार समझौता (APTA)

- इसका उद्देश्य परस्पर लाभकारी व्यापार उदारीकरण के उपाय अपनाकर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।
- यह एक अधिमानी व्यापार समझौता है जिसके अंतर्गत समय-समय पर किए जाने वाले समझौता वार्ताओं के दौरान मदों के समृह की संख्या व प्रश्लक छुटों की सीमा बढ़ाई जाती है।
- इसे पूर्व में बैंकाक समझौता नाम दिया गया था।
- इस पर 1975 में यूनाइटेड नेशन्स इकॉनोमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक (ESCAP) की एक पहल के तौर पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- APTA चीन और भारत को जोड़ने वाला एकमात्र परिचालित व्यापार समझौता है।

सदस्य

- बांग्लादेश
- चीन
- भारत
- मंगोलिया
- दक्षिण कोरिया
- लाओस
- श्रीलंका

9.B

cVIGIL Mobile App

- It was launched for citizens to report any violation of the model code of conduct during elections.
- It will be operational only where elections are announced.
- It is a GIS-based mobile application

Model Code of Conduct

- It is a set of guidelines issued by the Election Commission of India for conduct of political parties and candidates during elections mainly with respect to speeches, polling day, polling booths, election manifestos, processions and general conduct.
- It comes into force immediately on announcement of the election schedule by the commission for the need
 of ensuring free and fair elections.

'cVIGIL' मोबाइल एप्प

- इसे नागरिकों के लिए चुनावों के दौरान आचार संहिता के किसी उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया था।
- यह केवल वहीं संचालित रहेगी जहाँ चुनावों की घोषणा की गई हो।
- यह एक GIS-आधारित मोबाइल एप्लीकेशन है।

चुनाव आचार संहिता

- यह भारत के चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों हेतु चुनावों के दौरान जारी की गई आचार संबंधी दिशानिर्देशों
 का समूह है जो मुख्यत: भाषणों, चुनावी दिन, चुनावी बूथों, चुनावी घोषणापत्रों, जुलूसों और सामान्य आचार से संबंधित होता है।
- यह आयोग द्वारा चुनावों की तारीख घोषित करने के तुरंत पश्चात स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करवाने हेतु प्रभावी हो जाती है।

10.C

Bru Tribe

News: A "historic agreement" had been signed among the governments of Mizoram and Tripura and the MizoramBru Displaced People's Forum, it brought to an end a 21-year wait for over 32,000 Bru tribals, who had been displaced from Mizoram and were living in Tripura

About

- Centre will provide financial assistance for rehabilitation of Brus in Mizoram and address their issues of security, education, livelihood etc. in consultation with Governments of Mizoram and Tripura.
- Bru (or Reang) tribals inhabit parts of some North-eastern states. In Mizoram, they are largely restricted toMamit and Kolasib districts.

ब्रू जनजाति

सुर्खियां: मिजोरम और त्रिपुरा की सरकारों एवं मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपुल्स फोरम के मध्य एक "ऐतिहासिक समझौते" पर हस्ताक्षर हुए हैं और इससे 32,000 से अधिक ब्रू जनजातीय लोगों का 21 वर्ष का इंतजार समाप्त हो गया है जो मिजोरम से विस्थपित हो त्रिपुरा में रह रहे थे।

संबंधित तथ्य

- केंद्र सरकार मिजोरम में ब्रू लोगों के पुनर्वास हेतु वितीय सहायता उपलब्ध करायेगी और उनकी सुरक्षा, शिक्षा, आजीविका इत्यादि मृद्दों का मिजोरम एवं त्रिप्रा की सरकारों के साथ परामर्श करके समाधान किया जायेगा।
- ब्रू (अथवा रियांग) जनजातीय लोग पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ भागों में रहते हैं। मिजोरम में, ये मुख्यत: मामित और कोलासिब जिलों में आवासित हैं।

11.D

Sunil Mehta Committee

- It deals with faster resolution of stressed assets.
- For loans up to Rs 50 crore, it suggested a steering committee within the bank to resolve it within 90 days.
- For loans of Rs 50-500 crore, it has suggested another bank-led resolution within 180 days.
- For loans above Rs 500 crore, it has suggested setting up an asset management company with private participation.
- It suggested setting up an Alternative Investment Fund that will raise resources from banks and institutional investors so that it can bid for the insolvent assets under insolvency and bankruptcy.
- Asset trading platform for stressed assets.

सुनील मेहता समिति

- यह दबावग्रस्त परिसंपतियों के त्वरित समाधान से संबंधित है।
- 50 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए इसने बैंक के अंतर्गत ही इसे 90 दिनों के भीतर सुलझाने के लिए एक स्टीयिरंग कमेटी बनाने का सुझाव दिया है।
- 50-500 करोड़ रुपए तक के ऋणों के लिए इसने अन्य बैंक के नेतृत्व में 180 दिनों के भीतर समाधान किए जाने का सुझाव दिया है।
- 500 करोड़ रुपए से ऊपर के ऋण के लिए इसने निजी भागीदारी वाली एक परिसंपित प्रबंधन कम्पनी की स्थापना का सुझाव दिया है।
- इसने एक वैकल्पिक निवेश कोष की स्थापना का सुझाव दिया है जो बैंकों और संस्थागत निवेशकों से संसाधन जुटाएगा तािक यह दिवािलया और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत दिवािलया परिसंपितयों हेत् बोली लगा सके।
- दबावग्रस्त परिसंपतियों हेत् परिसंपति व्यापार मंच।

12.C

WIPO Copyright Treaty

PCS

Cabinet approves accession to WIPO Copyright Treaty, 1996

About

- It is a Special agreement under Berne Convention (for protection of literary and artistic works).
- It deals with the protection of works and the rights of their authors in the digital environment.
- It has provisions to extend the protection of copyrights contained therein to the digital environment.
- It recognises the rights specific to digital environment, of making work available, to address "on-demand" and other interactive modes of access
- It ensures that computer programs are protected as literary works

As to the rights granted to authors, apart from the rights recognized by the Berne Convention, the Treaty also grants:

- Right of distribution
- Right of rental
- Broader right of communication to the public

It provides framework for creators and right owners to use technical tools to protect their works and safeguard information about their use i.e. Protection of Technological Protection Measures (TPMs) and Rights Management Information (RMI).

WIPO कॉपीराइट संधि

कैबिनेट ने WIPO कॉपीराइट संधि, 1996 अपनाने का अनुमोदन किया

संबंधित तथ्य

- यह बर्न कन्वेंशन (साहित्यिक एवं कलात्मक कार्यों की स्रक्षा हेत्) के अंतर्गत एक विशेष समझौता है।
- यह डिजिटल वातावरण में लेखकों के कार्यों एवं उनके अधिकारों की स्रक्षा से संबंधित है।
- इसमें इसके अंतर्गत मौजूद कॉपीराइट्स की सुरक्षा को डिजिटल वातावरण तक विस्तारित करने के प्रावधान हैं।
- यह डिजिटल वातावरण से जुड़े विशिष्ट अधिकारों जिसमें कार्य उपलब्ध करवाना, "मांग पर" संबोधित करना एवं पहुँच की अन्य इंटरैक्टिव विधियां शामिल हैं, को मान्यता देता है।
- यह स्निश्चित करती है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को साहित्यिक कार्यों की भांति संरक्षित किया जाए।

बर्न कन्वेंशन द्वारा पहचाने गए अधिकारों के अतिरिक्त, लेखकों को प्रदत्त अधिकारों के संबंध में यह संधि निम्नलिखित भी देती है:

- वितरण का अधिकार
- किराए पर देने का अधिकार
- जनता के साथ संवाद कायम करने का व्यापक अधिकार

यह रचनाकारों एवं अधिकारधारियों को उनके कार्य व उनके प्रयोग से संबंधित सूचना की सुरक्षा अर्थात प्रोटेक्शन ऑफ़ टेक्नोलॉजिकल प्रोटेक्शन मेशर्ज़ तथा (TPMs) राइट्स मैनेजमेंट इनफार्मेशन (RMI) हेतु तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करने संबंधी फ्रेमवर्क प्रदान करती है।

13.A

Khan Prahari

- It is a tool for reporting any activity taking place related to illegal coal mining like rat hole mining, pilferage etc.
- One can upload geo-tagged photographs of the incident along with textual information directly to the system.
- Hence, both satellite data and human information will be used to capture information on the un-authorisedmining activities.

खान प्रहरी

- यह अवैध कोयला खनन जैसे रैट होल खनन, कोयला चोरी इत्यादि जैसी गतिविधियों की रिपोर्ट करने का एक प्लेटफार्म है।
- कोई व्यक्ति लिखित सन्देश के साथ घटना का जियो-टैग्ड फोटो प्रत्यक्ष सिस्टम को भेज सकता है।
- अत:, उपग्रह डेटा एवं मानवीय सूचना दोनों का प्रयोग अनिधकृत खनन गतिविधियों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने हेतु किया जाएगा।

14.A

CACP has three different definitions of productions costs

- A2 formula is actual paid out cost which includes cost of seeds, fertilisers, pesticides, hired labour, fuel etc
- A2+FL formula takes into account actual cost plus imputed value of family labour in the production of a crop.

- The C2 formula factors in a lot of costs, including imputed rent on land and interest on capital, which makes
 the cost of production much higher than the level on which the Commission for Agricultural Costs and Prices
 bases its recommendations.
- C2 > A2+FL > A2

CACP के पास उत्पादन लागतों की तीन परिभाषाएं हैं

- A2 फ़ॉर्मूला वास्तविक भ्गतान लागत है जिसमें बीज, उर्वरकों, भाड़े के श्रम, ईंधन इत्यादि की लागत शामिल होती है।
- A2+FL फ़ॉर्मूला वास्तविक लागत तथा फसल के उत्पादन में लगे पारिवारिक श्रम की आरोपित लागत को संज्ञान में लेता है।
- The C2 फ़ॉर्म्ला कई साड़ी लागतों पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें भूमि पर आरोपित लगान एवं पूँजी पर ब्याज शामिल है।
 इससे उत्पादन की लागत कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं से कहीं अधिक हो जाती है।
- C2 > A2+FL > A2

15.A

Saltwater crocodile

- It is the largest crocodile.
- It is also known as the estuarine crocodile, Indo-Pacific crocodile, marine crocodile, sea crocodile
- It can live in marine environments, but usually resides in saline and brackish mangrove swamps, estuaries, deltas, lagoons, and lower stretches of rivers.
- Bhitarkanika National Park is a very good place to sight the giant Salt Water Crocodile
- IUCN status: Least Concerned

साल्ट वाटर मगरमच्छ

- यह सबसे बड़ा मगरमच्छ है।
- इसे ज्वारनदमुखीय मगरमच्छ, इंडो-पैसिफिक मगरमच्छ, जलीय मगरमच्छ, सागरीय मगरमच्छ के नाम से भी जाना जाता है।
- यह जलीय वातावरण में रह सकता है, किंतु सामान्यत: नमकीन, खारे मंग्रोव दलदली क्षेत्रों, ज्वारनदमुखों, डेल्टाओं, लैगून, और निदयों के निचले भागों में निवास करता है। भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क विशाल साल्ट वाटर मगरमच्छ को देखने हेतु काफी अच्छा स्थान है।
- IUCN दर्जा: लीस्ट कंसर्न

16.B

Formalin

- It is a form of formaldehyde, which is classified as a carcinogenic to humans.
- It contains 37 to 40 percent formaldehyde, and is used mostly in mortuaries and labs.
- Formalin has also been used to preserve fresh foods to prevent spoilage and extend shelf life, even though its consumption is harmful to human beings.
- It is used in building materials and to produce many household products.
- It is used in pressed-wood products

Operation Sagar Rani

• To ensure safety and hygiene at fish handling and distribution centres

फॉर्मलीन

- यह फार्मिल्डिहाइड का एक रूप है, जिसे मानव के लिए कैंसरकारी के तौर पर वर्गीकृत किया गया है।
- इसमें 37 से 40 प्रतिशत फार्मिल्डहाइड होता है और इसका प्रयोग मुख्यत: मुर्दाघरों एवं प्रयोगशालाओं में किया जाता है।
- फॉर्मलीन का प्रयोग ताजा भोजन को खराब होने से रोकने और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी किया गया है, हालांकि इसका उपभोग मानव के लिए हानिप्रद है।
- इसका प्रयोग इमारती सामग्रियों एवं अनेक घरेल् उत्पादों के निर्माण में किया जाता है।
- इसका प्रयोग प्रेस्स्ड-वृड उत्पादों में भी किया जाता है।

ऑपरेशन सागर रानी

फिश हैंडलिंग एवं वितरण केन्द्रों पर स्रक्षा और स्वच्छता स्निश्चित करने के लिए।

17.D

The Government announced two major initiatives in health sector, as part of Ayushman Bharat programme. It is aimed at making path breaking interventions to address health holistically, in primary, secondary and tertiary care systems, covering both prevention and health promotion.

Health and Wellness Centre

- The National Health Policy, 2017 has envisioned Health and Wellness Centres as the foundation of India's health system.
- Under this 1.5 lakh centres will bring health care system closer to the homes of people.
- These centres will provide comprehensive health care, including for non-communicable diseases and maternal and child health services.
- These centres will also provide free essential drugs and diagnostic services.
- The Budget has allocated Rs.1200 crore for this flagship programme.
- Contribution of private sector through CSR and philanthropic institutions in adopting these centres is also envisaged.

National Health Protection Scheme

The second flagship programme under Ayushman Bharat is National Health Protection Scheme, which will
cover over 10 crore poor and vulnerable families (approximately 50 crore beneficiaries) providing coverage
upto 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization.

सरकार ने आयुष्मान भारत कार्यक्रम के भाग के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु दो बड़ी पहलों की घोषणा की। इनका उद्देश्य प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु अति महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करना है। इसके अंतर्गत रोकथाम और स्वास्थ्य प्रोत्साहन दोनों शामिल होंगे।

हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में भारत के स्वास्थ्य तंत्र के आधार के रूप में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की परिकल्पना की गई है।
- इसके अंतर्गत 1.5 लाख केंद्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को लोगों के घरों के समीप लाना हैं।
- ये केंद्र व्यापक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करवायेंगे जिसमें असंचारी रोग, मातृत्व एवं शिश् स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल होंगी।
- ये केंद्र आवश्यक दवाएं एवं नैदानिक सेवाएं भी नि:श्ल्क उपलब्ध करवायेंगे।
- इस फ्लैगशिप कार्यक्रम के लिए 1200 करोड़ रूपए का बजट आवंटित किया गया है।
- CSR और परोपकारी संस्थानों के माध्यम से इन केन्द्रों को गोद लेने में निजी क्षेत्र की भागीदारी की भी कल्पना की गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना

 आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरा फ्लैगशिप कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है जो 10 करोड़ गरीब और सुभेद्य परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को कवर करेगा और उन्हें द्वितीयक और तृतीयक देखभाल संस्थानों में इलाज के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रूपए तक का कवरेज उपलब्ध करवाएगा।

18.B

The 38th parallel north formed the border between North and South Korea prior to the Korean War. 38वीं समानांतर रेखा कोरियाई युद्ध से पूर्व उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्माण करती थी।

All the statements are correct.

- Montenegro borders Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Kosovo and Albania. It has a coast on the Adriatic Sea to the southwest.
- After World War I, Montenegro became part of Yugoslavia. Following the breakup of Yugoslavia, the
 republics of Serbia and Montenegro together established a federation known as the Federal Republic of
 Yugoslavia, which was renamed Serbia and Montenegro in 2003. On the basis of an independence
 referendum held in May 2006, Montenegro declared independence on 3 June of that year.

सभी कथन सत्य है।

- मोंटेनेग्रों की सीमा क्रोएशिया, बोस्निया व हर्ज़ेगोविना, सर्बिया, कोसोवो और अल्बानिया के साथ लगती है। दक्षिण पश्चिम में एड्रिएटिक सागरके साथ इसका तट लगता है।
- प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, मोंटेनेग्रों युगोस्लाविया का भाग बन गया। युगोस्लाविया के विखंडन के पश्चात, सर्बिया गणराज्य एवं मोंटेनेग्रों ने मिलकर एक फेडरेशन की स्थापना की जिसे फेडरल रिपब्लिक ऑफ़ युगोस्लाविया के नाम से जाना गया। 2003 में इसका नाम बदलकर पुन: सर्बिया और मोंटेनेग्रों कर दिया गया। मई 2006 में हुए एक स्वतंत्र जनमतसंग्रह के आधार पर, मोंटेनेग्रों ने उसी वर्ष 3 जून को स्वतंत्रता की घोषणा की।

20.D

Swat Valley

- Swat is a valley and an administrative district in the Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan.
- The region is inhabited largely by Pashtun people, except in the valley's uppermost reaches, where the Kohistani people dominate.

स्वात घाटी

- स्वात, पाकिस्तान के ख़ैबर पख़्तूनख़वा प्रांत में एक घाटी और प्रशासनिक जिला है।
- इस क्षेत्र में घाटी के सबसे ऊपरी भागों (जहाँ कोहिस्तानी लोगों का बाह्ल्य है) को छोड़कर मुख्यत: पश्तून लोग रहते हैं।

21.B

The names of states and union territories and their territorial extent are mentioned in the first schedule of the Constitution. At present, there are 29 states and 7 union territories. The provisions of the Constitution pertaining to the states are applicable to all the states (except Jammu and Kashmir) in the same manner.

The states are the members of the federal system and share a distribution of powers with the Centre. The union territories and the acquired territories, on the other hand, are directly administered by the Central government.

राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नाम व उनका भौगोलिक विस्तार संविधान की पहली अनुसूची में वर्णित है। वर्तमान में, 29 राज्य और 7 संघ शासित क्षेत्र हैं। राज्यों से संबंधित संविधान के प्रावधान सभी राज्यों (जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर) पर समान रूप से लागू हैं। राज्य संघीय व्यवस्था का भाग हैं और शक्ति के वितरण में उनका केंद्र के साथ साझा रखते हैं। दूसरी ओर, संघ शासित क्षेत्र और अधिगृहित क्षेत्र प्रत्यक्षत: केंद्र सरकार दवारा प्रशासित किए जाते हैं।

22.D

Like any other part of the Constitution, the Preamble was also enacted by the Constituent Assembly, but, after the rest of the Constitution was already enacted. The reason for inserting the Preamble at the end was to ensure that it was in conformity with the Constitution as adopted by the Constituent Assembly. While forwarding the Preamble for votes, the president of the Constituent Assembly said, 'The question is that Preamble stands part of the Constitution'. The motion was then adopted.

Hence, the current opinion held by the Supreme Court that the Preamble is a part of the Constitution, is in consonance with the opinion of the founding fathers of the Constitution.

However, two things should be noted:

- 1. The Preamble is **neither a source of power** to legislature nor **a prohibition** upon the powers of legislature.
- 2. It is **non-justiciable**, that is, its provisions are not enforceable in courts of law

संविधान के किसी भी अन्य भाग की भांति प्रस्तावना को भी संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था, किंतु शेष संविधान के अधिनियमित कर देने के पश्चात। प्रस्तावना को अंत में डालने का कारण यह सुनिश्चित करना था कि यह संविधान सभा द्वारा अंगीकार किए गए संविधान के साथ साम्यता रखती हो। प्रस्तावना को मतदान के लिए आगे करते समय, संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा, 'सवाल यह है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग बन गई है'। इसके पश्चात प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

अतः उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई वर्तमान राय यह है कि 'प्रस्तावना संविधान का भाग है', यह बात संविधान के पितृ पुरुषों की राय के अनरूप है।

हालांकि दो बातें ध्यान में रखी जानी चाहिएं:

- 1. प्रस्तावना **न तो** विधायिका के लिए **शक्ति का स्त्रोत** है और न ही विधायिका की शक्तियों पर कोई **प्रतिबंध** आरोपित करती है।
- 2. यह **न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं** है अर्थात इसके प्रावधान विधिक न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं।

23.D

Fraternity means a sense of brotherhood. The Constitution promotes this feeling of fraternity by the **system of single citizenship**. Also, the **Fundamental Duties (Article 51-A)** say that it shall be the duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic, regional or sectional diversities.

The **Preamble declares that fraternity has to assure two things**—the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. The word 'integrity' has been added to the preamble by the 42nd Constitutional Amendment (1976)

According to K M Munshi, a member of the Drafting Committee of the Constituent Assembly, the phrase 'dignity of the individual' signifies that the Constitution not only ensures material betterment and maintains a democratic set-up, but that it also recognises that the personality of every individual is sacred. This is highlighted through some of the provisions of the Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy, which ensure the dignity of individuals. Further, the Fundamental Duties (Article 51A) also protect the dignity of women by stating that it shall be the duty of every citizen of India to renounce practices derogatory to the dignity of women, and also makes it the duty of every citizen of India to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India

बंधुता का अर्थ है बंधुत्व की भावना। संविधान इस बंधुत्व की भावना को **एकल नागरिकता की व्यवस्था** के माध्यम से प्रोत्साहित करता है। साथ ही, **मौलिक कर्तव्य** (**अनुच्छेद** 51-A) कहते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा, और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो।

प्रस्तावना इस बात की घोषणा करती है कि भ्रातृत्व को दो चीजों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा—व्यक्ति की गरिमा एवं देश की एकता और अखंडता। 'अखंडता' शब्द को प्रस्तावना में 42 वें संविधान संशोधन (1976) के माध्यम से जोड़ा गया है।

संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य श्री के एम मुंशी के अनुसार, 'ट्यक्ति की गरिमा' से आशय है कि संविधान न केवल भौतिक बेहतरी सुनिश्चित करता है और एक लोकतांत्रिक ढ़ांचे को बनाए रखता है, अपितु यह इस बात को भी मान्यता प्रदान करता है कि प्रत्येक ट्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। इसे मौतिक कर्तव्यों और राज्य नीति के निदेशक तत्वों के प्रावधानों के माध्यम से चिन्हांकित किया जाता है जो व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करते हैं। साथ ही, मौतिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A) भी यह कहकर महिलाओं की गरिमा की रक्षा करते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, और साथ ही यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनाता है कि वह भारत की प्रभ्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।

24.A

The term 'equality' means the absence of special privileges to any section of the society, and the provision of adequate opportunities for all individuals without any discrimination. There are two provisions in the Constitution that seek to achieve political equality. One, no person is to be declared ineligible for inclusion in electoral rolls on grounds of religion, race, caste or sex (Article 325). Two, elections to the Lok Sabha and the state assemblies to be on the basis of adult suffrage (Article 326).

The Directive Principles of State Policy (Article 39) secures to men and women equal right to an adequate means of livelihood and equal pay for equal work.

The Preamble secures to all citizens of India equality of status and opportunity. This provision embraces three dimensions of equality—civic, political and economic.

The following provisions of the chapter on Fundamental Rights ensure civic equality:

- (a) Equality before the law (Article 14).
- (b) Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth (Article 15).
- (c) Equality of opportunity in matters of public employment (Article 16).
- (d) Abolition of untouchability (Article 17).
- (e) Abolition of titles (Article 18).

'समानता' शब्द का अर्थ है समाज के किसी वर्ग को विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना पक्षपात के सभी व्यक्तियों को पर्याप्त अवसरों का प्रावधान। संविधान में राजनीतिक समानता सुनिश्चित करने वाले दो प्रावधान हैं। पहला, **धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना (अनुच्छेद 325)। दूसरा, लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना** (अनुच्छेद 326)।

राज्य नीति के निदेशक तत्व (अनुच्छेद 39) प्रत्येक पुरुष और स्त्री के लिए समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन एवं समान कार्य के लिए समान वेतन स्निश्चित करते हैं।

प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए स्तर और अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। इस प्रावधान में समानता के तीन आयाम समाहित हैं—नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक।

मौलिक कर्त्तव्यों वाले अध्याय के निम्नलिखित प्रावधान नागरिक समानता सुनिश्चित करते हैं:

- (a) विधि के समक्ष समता (अन्च्छेद 14)।
- (b) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही (अन्च्छेद 15)।
- (c) लोक नियोजन में अवसर की समता (अनुच्छेद 16)।
- (d) अस्पृश्यता का अंत (अन्च्छेद 17)।
- (e) उपाधियों का अंत (अन्चेद 18)।

25.A

The term 'liberty' **means the absence of restraints on the activities of individuals,** and at the same time, providing opportunities for the development of individual personalities.

The Preamble secures to all citizens of India liberty of thought, expression, belief, faith and worship, through their Fundamental Rights, **enforceable in court of law, in case of violation**.

Liberty as elaborated in the Preamble is very essential for the successful functioning of the Indian democratic system. However, **liberty does not mean 'license' to do what one likes,** and has to be enjoyed within the limitations mentioned in the Constitution itself. In brief, the liberty conceived by the Preamble or fundamental rights is not absolute but qualified.

PCS

'स्वतंत्रता' शब्द का अर्थ है **व्यक्तियों की गतिविधियों पर बन्धनों की अनुपस्थिति**, और साथ ही, व्यक्तियों को विकास के अवसर प्रदान करना।

प्रस्तावना मौलिक अधिकारों के माध्यम से भारत के सभी नागरिकों के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता स्निश्चित करती है जो **उल्लंघन की दशा में विधिक न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं।**

प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के कार्य करते रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हालांकि, स्वतंत्रता का अर्थ कुछ भी करने का लाइसेंस प्राप्त होना नहीं है, एवं इसका प्रयोग संविधान में वर्णित सीमाओं के भीतर ही उपयोग करना होता है। संक्षेप में,प्रस्तावना में विचारित स्वतंत्रता अथवा मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं, सीमित हैं।

26.A

The term 'justice' in the Preamble embraces three distinct forms—social, economic and political, secured through various provisions of Fundamental Rights and Directive Principles.

Social justice denotes the **equal treatment of all citizens without any social distinction** based on caste, colour, race, religion, sex and so on. It means **absence of privileges being extended to any particular section of the society**, and improvement in the conditions of backward classes (SCs, STs and OBCs) and women.

Economic justice denotes the **non-discrimination between people on the basis of economic factors.** It involves the elimination of glaring in-equalities in wealth, income and property. A **combination of social justice and economic justice denotes what is known as 'distributive justice'.**

Political justice implies that all citizens should have equal political rights, equal access to all political offices and equal voice in the government.

प्रस्तावना में वर्णित 'न्याय' शब्द तीन अलग-अलग आयामों को अंगीभूत करता है—सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, तथा इन्हें **मौलिक** अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से स्निश्चित किया जाता है।

सामाजिक न्याय बताता है कि जाति, रंग, मूलवंश, धर्म, लिंग इत्यादि पर आधारित किसी **सामाजिक अंतर के बिना सभी नागरिकों को समान उपचार** प्रदान किया जाए। **इसका अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग विशेष को दिए जा रहे विशेषाधिकार की अनुपस्थिति** और पिछड़े वर्गों (SCs, STs a OBCs) एवं महिलाओं के हालातों में सुधार।

आर्थिक न्याय बताता है कि **लोगों के बीच आर्थिक कारकों के आधार पर गैर-पक्षपात।** इसमें संपदा, आय और संपत्ति संबंधी असमानताओं का हटाया जाना शामिल है। **सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का संयोजन ही 'वितरक न्याय' के तौर पर जाना जाता है।**

राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार हों, उनकी सभी राजनीतिक पदों तक समान पहुँच हो और सरकार में उनकी समान भागीदारी हो।

27.C

A democratic polity can be classified into two categories—monarchy and republic. In a monarchy, the head of the state (usually king or queen) enjoys a hereditary position, that is, he comes into office through succession, example Britain. In a republic, on the other hand, the head of the state is always elected directly or indirectly for a fixed period, example USA.

Therefore, the term 'republic' in our Preamble indicates that India has an elected head called the president. He is elected indirectly for a fixed period of five years.

एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है—राजतंत्र एवं गणतंत्र। एक राजतंत्र में राज्य का प्रमुख(सामान्यत: राजा अथवा रानी) वंशानुगत ढंग से पद प्राप्त करते हैं अर्थात वह उत्तराधिकार के माध्यम से पद पर आता है, उदाहरण ब्रिटेन।दूसरी ओर, एक गणतंत्र में राज्य का प्रमुख सदैव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अविध के लिए चूना जाता है, जैसे अमेरिका।

इस प्रकार, हमारी प्रस्तावना में प्रयुक्त 'गणतंत्र' शब्द संकेत करता है कि भारत भारत के पास एक निर्वाचित प्रमुख है जिसे राष्ट्रपित कहा जाता है। वह पाँच वर्षों की नियत अवधि के लिए अप्रत्यक्ष ढंग से चुना जाता है।

28 D

A democratic polity, as stipulated in the Preamble, is based on the doctrine of popular sovereignty, that is, possession of supreme power by the people.

Democracy is of two types—direct and indirect. In direct democracy, the people exercise their supreme power directly as is the case in Switzerland. There are four devices of direct democracy, namely, Referendum, Initiative, Recall and Plebiscite. In indirect democracy, on the other hand, the representatives elected by the people exercise the supreme power and thus carry on the government and make the laws. This type of democracy, also known as representative democracy, is of two kinds—parliamentary and presidential.

The **Indian Constitution provides for representative parliamentary democracy** under which the executive is responsible to the legislature for all its policies and actions. Universal adult franchise, periodic elections, rule of law,

independence of judiciary, and absence of discrimination on certain grounds are the manifestations of the democratic character of the Indian polity.

The term 'democratic' is used in the Preamble in the broader sense embracing not only **political democracy but** also social and economic democracy.

एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, जैसा कि प्रस्तावना में बताया गया है, **लोकप्रिय संप्रभुता अर्थात सर्वोच्च सता का लोगों के पास होना, के** सिद्धांत पर आधारित है।

लोकतंत्र दो प्रकार का होता है—प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, लोग सीधे तौर पर सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसा कि स्विट्ज़रलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार उपकरण हैं, अर्थात रेफरेन्डम, इनिशिएटिव, रिकॉल व प्लेबिसाइट। दूसरी ओर, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च सता का उपयोग करते हैं और इस प्रकार सरकार चलाते और कानून बनाते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है—संसदीय और अध्यक्षीय।

भारतीय संविधान में प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र का प्रावधान करता है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। सार्वभौम व्यस्क मताधिकार, आवधिक चुनाव, विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं चयनित आधारों पर पक्षपात की अन्पस्थिति भारतीय शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र की अभिव्यक्तियाँ हैं।

प्रस्तावना में 'लोकतांत्रिक' शब्द का प्रयोग वृहत अर्थों में किया गया है जिसके अंतर्गत **न केवल राजनीतिक लोकतंत्र आता है अपितु आर्थिक लोकतंत्र भी आता है**।

29.D

All the options are correct.

Voice over Internet Protocol is a category of hardware and software that enables people to use the Internet as the transmission medium for telephone calls by sending voice data in packets using IP rather than by traditional circuit transmissions of the PSTN.

सभी विकल्प सही हैं।

वॉइस ओवर इन्टरनेट प्रोटोकॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एक श्रृंखला है जो लोगों को टेलीफोन कॉल्स हेतु इन्टरनेट को एक संप्रेषण माध्यम के रूप में प्रयोग करने में सक्षम बनाती है। यह ऐसा, PSTN के परंपरागत सर्किट ट्रांसिमशन के स्थान पर आईपी का प्रयोग कर समह में वॉइस डेटा भेजकर करती है।

30.A

Harmonized Commodity Description and Coding System, also known as the Harmonized System (HS) is an international nomenclature for the classification of products. It allows participating countries to classify traded goods on a common basis for customs purposes. At the international level, the Harmonized System (HS) for classifying goods is a six-digit code system.

It has been developed and maintained by the World Customs Organization (WCO)

हार्मनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम जिसे हार्मनाइज्ड सिस्टम (HS) के नाम से भी जानते हैं, उत्पादों के श्रेणीकरण की एक अंतर्राष्ट्रीय नामावली है। यह भागीदार देशों को सीमा शुल्क उद्देश्यों हेतु व्यापारित वस्तुओं के एक साझे आधार पर वर्गीकरण की सुविधा प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वस्तुओं के वर्गीकरण का हार्मनाइज्ड सिस्टम (एच एस) एक छ: अंकीय कोड प्रणाली है। इसका विकास और रखरखाव विशव सीमा शुल्क संगठन (WCO) दवारा किया जाता है।

31.D

Golden Jackal

- It is a widespread species. It is fairly common throughout its range with high densities observed in areas with abundant food and cover.
- A minimum population estimate of over 80,000 is estimated for the Indian sub-continent.
- They are abundant in valleys and beside rivers and their tributaries, canals, lakes
- They are rare in foothills and low mountains.
- Due to their tolerance of dry habitats and their omnivorous diet, the Golden Jackal can live in a wide variety
 of habitats.
- IUCN Status Least Concern
- It is included in CITES Appendix III (in India).
- They feature on Schedule III of the Wildlife Protection Act (1972) of India and are afforded the least legal protection

गोल्डन जैकाल

 यह एक व्यापक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति है। यह अपने विस्तार वाले क्षेत्रों में सामान्यत: पाई जाती है तथा प्रचुर भोजन एवं आवरण वाले क्षेत्रों में इसका उच्च घनत्व दिखाई पड़ता है।

- भारतीय उपमहादवीप में इसकी न्युनतम अनुमानित संख्या 80,000 से अधिक है।
- ये घाटियों एवं निर्देशों और उनकी सहायक धाराओं, नहरों, झीलों के पास प्रच्रता में पाए जाते हैं।
- तलहटी क्षेत्रों और निचले पर्वतीय क्षेत्रों में यह दुर्लभ दिखाई देता है।
- शुष्क पर्यावासों एवं सर्वाहारी भोजन के प्रति अपनी सिहष्णुता के कारण गोल्डन जैकाल अनेक प्रजातियों के पर्यावासों में रह सकता है।
- IUCN दर्जा— लीस्ट कंसर्न
- यह CITES Appendix III (भारत में) शामिल है।
- यह भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) की सूची III में शामिल है और इसे कम कान्नी संरक्षण प्राप्त है।

32.B

Helsinki Accords

- It is also known as the Helsinki Final Act, or Helsinki Declaration
- It were signed on August 1, 1975, at the conclusion of the first Conference on Security and Co-operation in Europe (now called the OSCE or Organisation for Security and Co-operation in Europe).
- It were made mainly to reduce tension between the Western blocs and the then Soviet Union by securing their common acceptance of the post-Second World War status quo in Europe.
- It were signed by all European countries barring Albania which became its signatory in 1991 and the US and Canada.
- It recognised that the post-World War II frontiers in Europe were inviolable and all the 35 nations that signed it pledged to respect the human rights and fundamental freedoms besides cooperating on various areas.
- They are not binding and do not have a treaty status.

हेलसिंकी समझौता

- इसे हेलसिंकी फाइनल एक्ट अथवा हेलसिंकी घोषणा के नाम से भी जाना जाता है
- यह यूरोप में सुरक्षा एवं सहयोग पर प्रथम कांफ्रेंस (जिसे वर्तमान में OSCE अथवा ऑर्गनाइजेशन फॉर सिक्यूरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप के नाम से जाना जाता है) के समापन के समय 1 अगस्त 1975 को हस्ताक्षरित किया गया था।
- यह मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप में स्थिति यथावत बनाए रखने पर सहमति की साझी स्वीकार्यता प्राप्त कर पश्चिमी ग्टों और सोवियत संघ के मध्य तनाव को कम करने के लिए किया गया था।
- अल्बानिया (जिसने 1991 में इस पर हस्ताक्षर किए), संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को छोड़कर सभी यूरोपीय देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए है।
- इसने इस बात को मान्यता प्रदान कि की यूरोप में विद्यमान द्वितीय विश्व युद्ध पश्चात के मोर्चे अनुल्लंघनीय हैं। साथ ही इस
 पर हस्ताक्षर करने वाले सभी 35 देशों ने वादा किया कि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के साथ-साथ मानवाधिकारों व मूलभूत
 स्वतंत्रताओं का सम्मान किया जाएगा।
- ये बाध्यकारी नहीं है और इसे संधि का दर्जा प्राप्त नहीं है।

33.A

Samagra Shiksha

- It is an overarching programme for the school education sector extending from pre-school to class 12th.
- It has been prepared with the broader goal of improving school effectiveness measured in terms of equal
 opportunities for schooling and equitable learning outcomes.
- It subsumes the three Schemes of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) and Teacher Education (TE).
- The shift in the focus is from project objectives to improving systems level performance and schooling outcomes which will be the emphasis of the combined Scheme along-with incentivizing States towards improving quality of education
- It envisages the 'school' as a continuum from pre-school, primary, upper primary, secondary to Senior Secondary levels.
- The vision of the Scheme is to ensure inclusive and equitable quality education from pre-school to senior secondary stage in accordance with the Sustainable Development Goal (SDG) for Education.
- Concerned Ministry HRD

समग्र शिक्षा

यह स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 हेत् एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

- इसे स्कूलों की प्रभाविता सुधारने के वृहत उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है जिसे स्कूलिंग के समान अवसर एवं समतापरक अधिगम परिणामों के रूप में मापा जाता है।
- इसने तीन योजनाओं नामतः सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE) को समाहित किया है।
- इसके अंतर्गत परियोजना उद्देश्यों की बजाए प्रणाली स्तरीय निष्पादन एवं स्कूलिंग परिणाम सुधारने पर ध्यान हस्तांतरित
 किया गया है तथा राज्यों को शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु वितीय प्रोत्साहन देने के साथ-साथ इस संयुक्त योजना में इसी पर
 जोर दिया जाएगा।
- यह 'स्कूल' में प्री-स्कूल, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्तरों तक को शामिल करती है।
- इस योजना का दृष्टिकोण शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के अनुरूप प्री-स्कूल से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्तर तक समावेशी एवं समतापरक ग्णवता शिक्षा स्निश्चित करना है।
- संबंधित मंत्रालय–मानव संसाधन मंत्रालय

34.A

Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK)

- Concerned Ministry Ministry of Minority Affairs
- Multi-sectoral Development Programme (MsDP) is renamed and restructured as PMJVK during the remaining period of 14th Finance Commission.
- It will be implemented as a Centrally Sponsored Scheme
- A new area for implementation of PMJVK has been included namely Minority Concentration District Headquarters (MCD Hq)
- It has used the selected socio-economic, basic amenities and population data of Census 2011 and have identified MCBs, MCTs and MCD Hqs.
- The identified areas namely MCBs, MCTs, MCD Hqs and COVs for implementation of PMJVK will be known as Minority Concentration Areas (MCA)
- It aims at improving socio-economic conditions of the minorities and providing basic amenities to them for improving quality of life of the people and reducing imbalances in the identified minority concentration areas.
- The areas for implementation of PMJVK has been identified on the basis of substantial population of
 minority communities i.e. 25% of minority population in the area and backwardness parameters in the area
 concerned which are below the national average.
- The Karyakram will be implemented through State/Central agencies. The State may, however, decide to
 execute the project through any qualified, reputed, experienced agency, including renowned and widely
 accepted NGOs, justification for which should be mentioned in the proposal. Implementation of project and
 operationalization of the assets may be allowed through Public Private Partnership (PPP) mode wherever
 felt feasible.

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)

- संबंधित मंत्रालय- अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय
- 14वें वित्त आयोग की शेष अविध के लिए बह्-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP) का नाम बदलकर PMJVK किया गया है।
- इसे केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना के तौर पर क्रियान्वित किया जाएगा।
- PMJVK के कार्यन्वयन के लिए अल्पसंख्यक संकेद्रण जिला मुख्यालय (MCD Hq) नाम के एक नए क्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया है।
- इसने जनगणना 2011 से चयनित सामाजिक-आर्थिक, आधारभूत सुविधाओं और जनसँख्या संबंधी डेटा का प्रयोग किया है
 औरMCBs, MCTs व MCD मुख्यालयों की पहचान की है।
- PMJVK के कार्यन्वयन हेतु पहंचाने गए क्षेत्र अर्थात MCBs, MCTs व MCD मुख्यालय व COVs अल्पसंख्यक संकेद्रित क्षेत्र (MCA)के तौर पर जाने जायेंगे।
- इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक दशाएं सुधारना एवं लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने हेतु उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त पहचाने गए अल्पसंख्यक संकेद्रित क्षेत्रों में असंतुलनों को कम करना है।
- PMJVK के कार्यान्वन हेतु क्षेत्रों को अल्पसंख्यकों के अच्छी-खासी आबादी अर्थात क्षेत्र की कुल जनसँख्या में अल्पसंख्यकों का भाग25% एवं संबंधित क्षेत्र में पिछड़ापन मानकों (जो राष्ट्रीय औसत से कम हों) के आधार पर पहचाना गया है।
- कार्यक्रम को राज्य/केंद्र की एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। राज्य हालांकि किसी अर्ह, प्रतिष्ठित, अनुभवी
 एजेंसी (जिसके अंतर्गत जाने-माने और व्यापक रूप से स्वीकार्य गैर-सरकारी संगठन आते हैं। इन्हें शामिल किए जाने का तर्क
 प्रस्ताव में उल्लिखित होना चाहिए) के माध्यम से इसका कार्यान्वन करवाने का निर्णय ले सकते हैं। परियोजना का कार्यान्वयन

KUMAR'S IAS

PCS

एवं परिसंपतियों का संचालन जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) पद्धिति के माध्यम से भी करवाया जा सकता है।

35.C

Central Adoption Resource Authority (CARA) is a statutory body of Ministry of Women & Child Development, Government of India. It functions as the nodal body for adoption of Indian children and is mandated to monitor and regulate in-country and inter-country adoptions. CARA is designated as the Central Authority to deal with inter-country adoptions in accordance with the provisions of the Hague Convention on Inter-country Adoption, 1993, ratified by Government of India in 2003.

CARA primarily deals with adoption of orphan, abandoned and surrendered children through its associated /recognised adoption agencies

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। यह भारतीय बच्चों के दत्तक-ग्रहण हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है और इसे देश के भीतर (इन-कंट्री) एवं अंतर्देशीय दत्तक-ग्रहण के मामलों के पर्यवेक्षण एवं विनियमन का अधिदेश प्राप्त है। CARA को हेग कन्वेंशन ऑन इंटर-कंट्री एडॉप्शन, 1993 (जिसे भारत सरकार ने 2003 में अभिपुष्ट किया) के प्रावधानों अनुसार अंतर्देशीय दत्तक-ग्रहण के मामले देखने हेतु नामित किया गया है। CARA संबंधित/मान्यता प्राप्त दत्तक-ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से प्राथमिकतया अनाथ, छोड़ दिए गए और समर्पित किए गए बच्चों के दत्तक-ग्रहण संबंधी मामले देखता है।

36.C

FASTags

- It is a device that can be installed on the windshield of any vehicle, and toll payments can be made directly from the pre-paid account linked to it.
- Hence such vehicles do not have to stop at toll plazas for payment of fees.
- FASTags can be purchased online from the websites of banks, the National Highways Authority of India and Indian Highways Management Company Limited.
- It employs Radio Frequency Identification (RFID) technology

फ़ास्टैग्स

- यह एक उपकरण है जिसे किसी भी वाहन की विंडशील्ड पर लगाया जा सकता है और इससे जुड़े प्रीपेड खाते से सीधे पथकर का भगतान किया जा सकता है।
- अत: ऐसे वाहनों को शुल्कों के भ्गतान हेत् टोल-प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं रहती।
- फ़ास्टैग्स बैंकों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड की वेबसाइटों से ऑनलाइन क्रय किया जा सकता है।
- इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) प्रौदयोगिकी लगी रहती है।

37.D

Marshall Plan

- It is also known as the European Recovery Program
- It channelled over \$13 billion to finance the economic recovery of Europe between 1948 and 1951.
- It successfully sparked economic recovery, meeting its objective of 'restoring the confidence of the European people in the economic future of their own countries and of Europe as a whole.'
- The plan is named for Secretary of State George C. Marshall, who announced it in a commencement speech at Harvard University on June 5, 1947.

मार्शल योजना

- इसे यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम के तौर पर भी जाना जाता है।
- इसने 1948 से 1951 के मध्य यूरोप की आर्थिक स्थिति की बहाली के वित्तयन हेत् \$13 बिलियन की धनराशि का प्रबंध किया।
- इसने सफलतापूर्वक आर्थिक बहाली की तथा 'अपने देशों के साथ-साथ यूरोप के आर्थिक भविष्य में यूरोपीय लोगों के विश्वास को बहाल करने' के उददेश्य को प्राप्त किया।
- इस योजना का नाम विदेश मंत्री जार्ज सी. मार्शल के नाम पर रखा गया जिन्होंने 5 जून 1947 को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अपने उदघाटन भाषण में इसकी घोषणा की।

38.C

Generalised System of Preferences (GSP)

- It is a preferential tariff system extended by developed countries (also known as preference giving countries
 or donor countries) to developing countries (also known as preference receiving countries or beneficiary
 countries).
- It involves reduced MFN Tariffs or duty-free entry of eligible products exported by beneficiary countries to the markets of donor countries.

Benefits

- Indian exporters benefit indirectly through the benefit that accrues to the importer by way of reduced tariff
 or duty free entry of eligible Indian products
- Reduction or removal of import duty on an Indian product makes it more competitive to the importer other things (e.g. quality) being equal.
- This tariff preference helps new exporters to penetrate a market and established exporters to increase their market share and to improve upon the profit margins, in the donor country.

Enabling Clause

- The Enabling Clause officially called the "Decision on Differential and More Favourable Treatment,
 Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries" was adopted under GATT in 1979 and enables
 developed members to give differential and more favourable treatment to developing countries.
- The Enabling Clause is the WTO legal basis for the Generalized System of Preferences (GSP). Under the
 Generalized System of Preferences, developed countries offer non-reciprocal preferential treatment (such
 as zero or low duties on imports) to products originating in developing countries. Preference-giving countries
 unilaterally determine which countries and which products are included in their schemes.
- The Enabling Clause is also the legal basis for regional arrangements among developing countries and for the Global System of Trade Preferences (GSTP), under which a number of developing countries exchange trade concessions among themselves.

जेनरलाइज़्ड सिस्टम ऑफ़ प्रेफरेंसेस (GSP)

- यह एक अधिमानी प्रशुल्क प्रणाली है जो विकसित देशों (जिन्हें प्राथमिकता प्रदाता अथवा दानदाता देश भी कहा जाता है) द्वारा विकासशील देशों (जिन्हें प्राथमिकता प्राप्तकर्ता अथवा लाभार्थी देश भी कहा जाता है)।
- इसके अंतर्गत घटे हुए MFN प्रशुल्क अथवा लाभार्थी देशों द्वारा दानदाता देशों को निर्यात किए गए पात्र उत्पादों का सीमा शुल्क रहित प्रवेश शामिल है।

लाभ

- भारतीय निर्यातकों को परोक्ष लाभ मिलता है- ऐसा भारतीय उत्पादों के सीमा शुल्क रहित प्रवेश के द्वारा आयातक को होने वाले लाभ के माध्यम से होता है।
- अन्य बातें (उदाहरण गुणवता) समान रहने पर भारतीय उत्पादों पर से आयात शुल्क का घटना अथवा हटना इसे आयातक के लिए अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाता है।
- यह प्रशुक्क प्राथमिकता, दानदाता देश में नए निर्यातकों को बाजार पहुँच बनाने तथा स्थापित निर्यातकों को अपनी बाजार भागीदारी व अपने लाभ बढ़ाने में सहायता करती है।

सक्षम बनाने वाले उपखंड (इनेबलिंग क्लॉज़)

- इनेबिलंग क्लॉज़ जिसे आधिकारिक रूप से "डिसिशन ऑन डिफरेंशियल एंड मोर फेवरेबल ट्रीटमेंट, रेसिप्रोसिटी एंड फुलर पार्टिसिपेशन ऑफ़ डेवलिंग कर्न्ट्रीज" कहा जाता है, को गैट के अंतर्गत 1979 में अपनाया गया था और यह विकसित सदस्यों को विकासशील देशों के साथ भिन्न एवं अधिक अनुकूल व्यवहार करने में सक्षम बनाता है।
- इनेबिलंग क्लॉज़ जेनरलाइज़्ड सिस्टम ऑफ़ प्रेफरेंसेस (GSP) हेतु WTO का कानूनी आधार है। जेनरलाइज़्ड सिस्टम ऑफ़ प्रेफरेंसेसके अंतर्गत, विकसित देश विकासशील देशों से आने वाले उत्पादों को गैर-पारस्परिक अधिमानी उपचार (जैसे आयातों पर शून्य अथवा कम शुल्क) देते हैं। प्राथमिकता देने वाले देश अपने आप यह निश्चित करते हैं कि किस देश अथवा किन उत्पादों को उनकी योजनाओं में सम्मिलित किया जाए।
- इनेबलिंग क्लॉज़ विकासशील देशों के बीच होने वाले क्षेत्रीय समझौतों एवं ग्लोबल सिस्टम ऑफ़ ट्रेड प्रेफरेंसेस (GSTP- जिसके अंतर्गत अनेक विकासशील देश आपस में व्यापार छूटों का आदान-प्रदान करते हैं) का भी कानूनी आधार है।

39.A

Kolam is a popular type of painting more popular in South India that is drawn with rice flour, chalk, chalk powder or white rock powder. It often uses naturally or synthetically coloured powder. Kolam is a geometrical line painting which is composed of curved loops, drawn around in a grid pattern of dots.

Kolams are regionally known by different names in India, 'Rangoli' in Maharashtra, 'Hase' and 'Rangoli' in Karnataka, 'Muggulu' in Andhra Pradesh, etc.

There exists different patterns in Kolam. A pattern in which a stroke runs once in the order of every dot and goes to the opening point, mostly geometrical figure, it is called as 'Neli' pattern. There is another pattern in which a stroke runs in the order of each dot but remains as unlock. In another pattern, an outline in which strokes are connected between the dots and sometimes it symbolizes different kinds of objects, flowers, animals, etc. A pattern, in which dots are set in a radial planning, is called 'Lotus' pattern. In another pattern, an outline is drawn in a free style and for the most part being colourized.

Patachitra is a traditional cloth based scroll painting Orissa. The whole painting is conceived in the form of a design on a given canvas. These paintings are based on Hindu mythology and specially inspired by Jagannath and Vaishnava sect.

Warli paintings are tribal paintings done by Warli tribe in Maharashtra. Warli paintings depict the harvest season and social ceremonies like wedding, birth ceremony of a child, etc. Rice paste is used with red ochre powder to tell stories and to invoke the blessings of their goddess of fertility, Palaghata.

कोलम एक लोकप्रिय चित्रकला है, जो विशेषकर दक्षिण भारत में अत्यधिक लोकप्रिय है। जिसमें चावल के आटे, चाक, चाक पाउडर या सफेद चट्टान पाउडर का प्रयोग किया जाता है। प्रायः इसमें प्राकृतिक या संश्लेषित रंगीन पाउडर का उपयोग किया जाता है। कोलम एक ज्यामितीय रेखाचित्र है जो बिंदुओं के एक ग्रिड पैटर्न के चारों ओर चित्रित घुमावदार छोरों (curved loops) के रूप में बनाया जाता है। कोलम चित्रकला को भारत में विभिन्न नामों, जैसे महाराष्ट्र में 'रंगोली', कर्नाटक में 'हेस' (Hase) एवं 'रंगोली', 'आंध्र प्रदेश में मुगुल्लु' आदि से जाना जाता है।

कोलम में विभिन्न पैटर्न का प्रयोग किया जाता है। एक पैटर्न में प्रत्येक बिंदु के क्रम में हाथ या पेंसिल से डिजाईन बनाई जाती है और यह आरम्भ बिंदु पर मिलाया जाता है। अधिकाँशतः इसमें ज्यामितीय आकृति बनाई जाती, जिसे 'नेली' पैटर्न कहा जाता है। एक अन्य पैटर्न में प्रत्येक बिंदु के क्रम में हाथ या पेंसिल से डिजाईन बनाई जाती है परन्तु इसमें निर्मित आकृति खुले आकार की होती है। दूसरे पैटर्न में, एक रूपरेखा में रेखाएं, बिन्दुओं के मध्य जुड़ी हुई होती हैं। कभी-कभी यह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, फूलों, जानवरों आदि के आकार की होती है। एक पैटर्न, जिसमें बिंदु सूर्य की किरणों के समान फैले (रेडियल प्लानिंग) होते हैं, इसे 'लोटस' पैटर्न कहा जाता है। एक अन्य पैटर्न में, रेखाचित्र को फ्रीस्टाइल में डिजाईन किया जाता है और अधिकांश भाग में रंग भरे जाते है। पटचित्र उड़ीसा की पारंपरिक कपड़ा आधारित स्क्रॉल पेंटिंग है। पूरी पेंटिंग को कैनवास पर डिजाइन के रूप में चित्रित किया जाता है। ये चित्र हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं और विशेष रूप से जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित हैं। वर्ली पेंटिंग में फसलों के मौसम और सामाजिक समारोहं जैसे शादी, बच्चे के जन्म का समारोह आदि को चित्रित किया जाता है। राइस पेस्ट (चावल के आटे से निर्मित) का लाल गेरू पाउडर के साथ उपयोग कथा-वर्णन और उर्वरता की देवी, पालघाट (Palaghata) के आहवान हेत् किया जाता है।

40.A

- Rhododendron is a tree species of montane forests. Rhododendrons of India are widely distributed in
 different regions and altitudes mainly in the Himalayas. Of the four parallel ranges in Himalayas,
 rhododendrons are practically absent in the Siwaliks, a few are found in the lesser Himalayas and majority of
 them are in the greater Himalayas. The Greater Himalayas are an ideal locality for rhododendrons in India.
- Besides this, a good number of species are found in north-eastern India particularly in Naga and Khasi hills.
 One subspecies nilagiricum of Rhododendron arboreum occurs in Western Ghats.

रोडोडेंड्रॉन पर्वतीय वनों की एक वृक्ष प्रजाति है। भारत में रोडोडेंड्रन मुख्य रूप से हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों और ऊंचाई पर पाए जाते हैं। हिमालय की चार समानांतर पर्वतमालाओं में से, रोडोडेंड्रॉन व्यवहारिक रूप से शिवालिक में नहीं पाए जाते हैं। यह अल्प संख्या में लघु हिमालय में और अधिकांशतः वृहत् हिमालय में पाए जाते हैं। वृहत् हिमालय भारत में रोडोडेंड्रॉन के लिए आदर्श स्थल है। इसके अतिरिक्त, उत्तर-पूर्वी भारत में विशेष रूप से नागा और खासी पहाड़ियों में इसकी प्रजातियां पर्याप्त संख्या में पायी जाती हैं। पश्चिमी घाट में रोडोडेंड्रॉन की एक उपप्रजाति रोडोडेंड्रॉन अवॉरियम नीलगिरिकम पायी जाती है।

41.C

- Waterbirds are a key part of wetland ecosystems. Their presence, numbers and trends at a site can tell us a
 lot about the health and quality of a wetland. The IWC is a monitoring programme operating in 143 countries
 to collect information on the numbers of waterbirds at wetland sites.
- Statement 1 is correct: All types of natural and man-made wetlands, including: rivers, lakes, reservoirs, ponds, freshwater swamps, mangroves, mudflats, coral reefs, rice fields and sewage farms that are covered by the Ramsar Convention are covered under IWC.

- Statement 2 is not correct: Wetland International coordinates the International Waterbird Census (IWC). Many thousands of volunteers join the count every year, making it one of the largest citizen science programmes in the world. In most countries the census is coordinated professionally, and in many countries professionals also carry out much of the fieldwork (although often on a voluntary basis).
- Statement 3 is correct: The Asian Waterbird Census (AWC) started in 1987, and many birders were
 initiated into bird counting and monitoring through this project. The AWC forms part of the global
 International Waterbird Census . The Asian Waterbird Census in India is jointly coordinated nationally by the
 Bombay Natural History Society and Wetlands International.
- वॉटरबर्डस (जलीय पक्षी) आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। किसी स्थल पर उनकी उपस्थिति, संख्या और प्रवृत्तियाँ किसी आर्द्रभूमि की दशा (health) और गुणवत्ता के विषय में अनेक सूचनाएं प्रदान कर सकती हैं। इंटरनेशनल वाटरबर्ड्स सेंसस (IWC), 143 देशों में आर्द्रभूमि स्थलों पर वॉटरबर्ड्स की संख्या संबंधी सूचनाएँ एकत्र करने हेतु संचालित एक निगरानी कार्यक्रम है।
- कथन 1 सही है: रामसर कन्वेंशन में शामिल, नदियां, झीलें, जलाशय, तालाब, स्वच्छ जल के दलदल, मैन्ग्रोव, मडफ्लैट्स, प्रवाल भित्तियां, धान के खेत और सीवेज फार्म सहित, सभी प्रकार की प्राकृतिक और मानव-निर्मित आर्द्रभूमियाँ IWC के अंतर्गत कवर की गयी हैं।
- कथन 2 सही नहीं है: इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेन्सस (IWC) को वेटलैंड इंटरनेशनल द्वारा आयोजित किया जाता है। कई हजार स्वयंसेवी प्रत्येक वर्ष गणना में शामिल होकर इसे विश्व का सबसे बड़ा नागरिक विज्ञान कार्यक्रम बनाते हैं। अधिकांश देशों में जनगणना का आयोजन पेशेवर रूप से किया जाता है, और कई देशों में पेशेवरों द्वारा इसमें फील्ड वर्क भी किया जाता है (यद्यपि प्रायः स्वैच्छिक आधार पर)।
- कथन 3 सही है: एशियन वॉटर बर्ड सेन्सस (AWC) 1987 में, प्रारंभ की गयी और इस परियोजना के माध्यम से पिक्षियों की गणना और निगरानी के लिए अनेक बर्डर (birders) सम्मलित किए गए। AWC, वैश्विक इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेन्सस का भाग है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एशियन वॉटर बर्ड सेन्सस का आयोजन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड्स इंटरनेशनल दवारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

42.A

- A powerful left-wing group developed in India in the late 1920s and 1930s contributing to the radicalization of the national movement. The goal of political independence acquired a clearer and sharper social and economic content. Thus, it was marked by the 'idea of socialism' which believed that political freedom would become meaningful only if it led to the economic emancipation of the masses, followed by the establishment of a socialist society. The stream of national struggle for independence and the stream of the struggle for social and economic emancipation of the suppressed and the exploited began to come together. Socialist ideas acquired roots in the Indian soil; and socialism became the accepted creed of Indian youth whose urges came to be symbolized by Jawaharlal Nehru and Subhas Chandra Bose. Hence, statement 1 is correct.
- Jawaharlal Nehru criticized Gandhiji for refusing to recognize the conflict of classes, for preaching harmony
 among the exploiters and the exploited, and for putting forward the theories of trusteeship by, and
 conversion of, the capitalists and landlords. Socialist (left ideologies) did not believe in these things but on
 strong state to deliver justice and development. Hence, statement 2 is not correct.
- About Trusteeship: It occupied a prominent place in the Gandhian thought. Gandhi wanted to abridge the gap between the rich and the poor. However, by this, he never meant absolute equality between the haves and have-nots. He envisaged that food, cloth and shelter are the basic needs of the human beings. So, the excess wealth or property of the rich can add welfare to the society. The wealth and talent should be considered as a trust of the whole society and as 'trustee' the individuals should handle it for the betterment of society. Trusteeship aimed at reforming the capitalist society. It advocated that rich people should change themselves and should come forward to use their property for the betterment of society.
- भारत में वामपंथी समूह का उदय 1920 के अंतिम वर्षों में और 1930 के दशक में हुआ। इसने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में उग्रता के समावेश में अपना योगदान दिया। इस समूह का उद्देश्य राजनैतिक स्वतंत्रता के लक्ष्य में स्पष्ट रूप से एवं तीव्रता से सामाजिक और आर्थिक तत्वों का समावेश करना था। अतः इसने 'समाजवाद की विचारधारा' को बढ़ावा दिया। इस विचारधारा के अनुसार राजनैतिक स्वतंत्रता तभी अर्थपूर्ण होगी, जब जन-सामान्य के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के साथ ही समाजवादी समाज की स्थापना हो। इससे स्वतंत्रता संघर्ष की और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े तथा शोषित वर्ग के लिये संघर्ष की विचारधाराएं एक दूसरे के निकट आने लगीं। भारतीय परिवेश में समाजवाद की विचारधारा स्थापित हुई और समाजवाद भारतीय युवाओं में

एक स्वीकृत मत के रूप में उभरा। इस विचारधारा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जवाहरलाल नेहरु और सुभाषचंद्र बोस को जाता है। अतः कथन 1सही है

- जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ग संघर्ष को अस्वीकार करने, शोषकों एवं शोषितों के मध्य सद्भाव का प्रचार करने और न्यासिता के सिद्धांतों को बढ़ावा देने तथा पूंजीपितयों व जमींदारों का मत-परिवर्तन करने के लिए गांधीजी की आलोचना की गयी। समाजवादी (वामपंथी विचारधारा वाले) न्याय और विकास के वितरण में दृढ विश्वास के कारण इनमें विश्वास नहीं करते थे।
 अतः कथन 2 सही नहीं है।
- न्यासिता का सिद्धांत: इसे गांधीवादी विचारधारा में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। महातमा गांधी अमीर और गरीब के मध्य के अंतर को समाप्त करना चाहते थे। इसका अर्थ, संपन्न एवं विपन्न के बीच पूर्ण समानता स्थापित करना नहीं था। उनका मानना था कि भोजन, वस्त्र और आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। इसलिए अमीर के अधिशेष धन एवं संपत्ति का उपयोग समाज के कल्याण हेतु किया जा सकता है। यह धन और संपत्ति पूरे समाज की मानी जाएगी तथा प्रत्येक व्यक्ति एक न्यासी के रूप में इनका उपयोग समाज की प्रगति के लिए करेगा। न्यासिता का उद्देश्य पूंजीवादी समाज में सुधार करना था। अतः इसके द्वारा अमीर व्यक्तियों को स्वयं में परिवर्तन करने और समाज की उन्नति हेतु अपनी संपत्ति के उपयोग हेतु पहल करने का आहवान किया गया।

43.A

THE POST-GUPTA PERIOD c.500 A.D.—750 A.D.

- The decline of the Gupta dynasty a little after the fifth century A.D. triggered a process of political fragmentation in the whole subcontinent. Feudatories and subjugated powers declared their independence and made way for emergence of small kingdoms. **Hence, statement 1 is correct.**
- Post-Gupta period witnesses widespread increase in the land-grant system. Land grants were given to the
 officials through royal proclamations and were made to brahmanas and temples. Villages granted to
 brahmanas were known as agraharas, brahmadeyas or shasanas. Some grants were also made to Buddhist
 and Jaina monasteries, Vaishnava and Shaiva shrines, and there was also a smaller number of 'secular'
 grants to officials. Hence, statement 2 is not correct.
- The Post-Gupta period was marked by the emergence of certain new castes and decline of certain old ones. For example, the constant transfer of land made by princes to priests, temples and officials led to the rise and growth of the scribe or the Kayastha caste which undermined the monopoly of Brahmans as writers and scribes. Similarly, the decline of trade and commerce led to the decline in the position of the Vaishyas. The process of proliferation and multiplication of castes was yet another marked feature of the social life of the period. Hence, statement 3 is correct.

गुप्तोत्तर काल - 500 ई. से 750 ई. सदी

- पांचवीं सदी के कुछ समय पश्चात् गुप्त राजवंश के पतन से सम्पूर्ण उपमहाद्वीप में राजनीतिक विखंडन की प्रक्रिया शुरू हो गई।
 सामंतों और अन्य अधीन शक्तियों ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा की और छोटे राज्यों के उद्भव के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसलिए, कथन 1 सही है।
- गुप्तोत्तर काल में भूमि अनुदान प्रणाली में व्यापक रूप से वृद्धि हुई। शाही घोषणाओं के माध्यम से अधिकारियों को भूमि
 अनुदान दिया गया और साथ ही ब्राहमणों एवं मंदिरों को भी भूमि अनुदान दिया गया। ब्राहमणों को दिए गए गांवों को अग्रहार,
 ब्रह्मदेय या शशंस के रूप में जाना जाता था। कुछ अनुदान बौद्ध एवं जैन मठों, वैष्णव एवं शैव मंदिरों के लिए भी किए गए थे
 और एक छोटी संख्या में अधिकारियों के लिए 'धर्मनिरपेक्ष' अनुदान भी दिए गए। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।
- गुप्तोत्तर काल में कुछ नई जातियों का उदय तथा कुछ पुरानी जातियों का पतन हुआ। उदाहरण के लिए, राजाओं द्वारा पुजारियों, मंदिरों एवं अधिकारियों को किए गए भूमि के निरंतर हस्तांतरण ने लेखक या कायस्थ जाति के उदय एवं विकास में योगदान दिया, जिसने लेखकों और साहित्यकारों के रूप में ब्राह्मणों के एकि धिकार को समाप्त कर दिया। इसी प्रकार, व्यापार एवं वाणिज्य में ह्रास से वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई। जाति का प्रसार एवं बहुलीकरण की प्रक्रिया इस अविध के सामाजिक जीवन की एक अन्य विशेषता थी। इसलिए, कथन 3 सही है।

44.D

- Namdapha is the eastern most national park located in Arunachal Pradesh in Changlang district. On the
 other hand, Marine national park is westernmost national park located in the Gulf of Kutch at the Jamnagar
 coast in Gujarat.
- Marine National Park is India's first marine national park and wildlife sanctuary situated in Gujarat state. It is located in the inter-tidal zone along the Jamnagar coasts and islands in the Gulf of Kutch.
- Namdapha national park is also a Tiger reserve which is located in Arunachal Pradesh and is the largest protected area in India. It is situated in the Eastern Himalaya biodiversity hotspot. It is flanked by the Patkai

hills to the south and south-east and by the Himalaya in the north and lies close to the Indo-Myanmar-China tri-junction.

- नामदफा अरुणाचल प्रदेश के सुदूर पूर्व में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, जो चांगलांग जिले में स्थित है। दूसरी ओर, मरीन नेशनल पार्क सुदूर पश्चिम में स्थित उद्यान है, जो जामनगर तट पर कच्छ की खाड़ी, गुजरात में स्थित है।
- गुजरात राज्य में स्थित मरीन नेशनल पार्क भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य है। यह अंतर-ज्वार क्षेत्र है, जो जामनगर तट और दवीपों से जुड़ा है तथा कच्छ की खाड़ी में स्थित है।
- नामदफा राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ आरक्षित क्षेत्र होने के साथ-साथ यह भारत का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र भी है। यह पूर्वी
 हिमालय के जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थित है। इसके दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में पटकाई पहाड़ियों और उत्तरी सिरे पर हिमालय
 अवस्थित है। यह भारत-म्यांमार-चीन त्रिसंगम के समीप स्थित है।
- इसलिए, विकल्प (d) सत्य है।

45.D

- The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, is a
 key forest legislation concerning the welfare of tribal communities and forest dwellers. It has also been
 called the Forest Rights Act, the Tribal Rights Act, the Tribal Bill, and the Tribal Land Act.
- The law concerns the rights of forest-dwelling communities to land and other resources, denied to them over decades as a result of the continuance of colonial forest laws in India.
- Types of forest rights are broadly classified into four categories.
 - i. Title rights i.e. ownership to land that is being farmed by tribals or forest dwellers as on 13 December 2005, subject to a maximum of 4 hectares; ownership is only for land that is actually being cultivated by the concerned family as on that date, meaning that no new lands are granted
 - ii. **Use rights to minor forest produce** (also including ownership), to grazing areas, to pastoralist routes, etc
 - iii. Relief and development rights to rehabilitation in case of illegal eviction or forced displacement, and to basic amenities, subject to restrictions for forest protection
 - iv. Forest management rights to protect forests and wildlife. For the first time, this law also gives the community the right to protect and manage the forest. Section 3(1) (i) provide a right and a power to conserve community forest resources, while section 5 gives the community a general power to protect wildlife, forests, etc.
- अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपिरक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, आदिवासी समुदायों और वनवासियों के कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण वन कानून है। इसे वन अधिकार अधिनियम, जनजातीय अधिकार अधिनियम, जनजातीय विधेयक और जनजातीय भूमि अधिनियम भी कहा जाता है।
- यह कानून भूमि और अन्य संसाधनों के लिए वनवासी समुदायों के अधिकारों से संबंधित है। भारत में औपनिवेशिक वन कानूनों को जारी रखने के परिणामस्वरूप, दशकों से वनवासी समुदायों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया था।
- वन अधिकारों के प्रकारों को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
 - 1. **टाइटल राइट्स अर्थात् 13 दिसंबर 2005 को आदिवासियों या वनवासियों द्वारा कृषित भूमि (अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि) पर स्वामित्व**; यह स्वामित्व केवल उस भूमि के लिए है जिस पर संबंधित परिवार द्वारा 13 दिसंबर, 2005 को वास्तव में कृषि कार्य किया जा रहा था, अर्थात् कोई नई भूमि प्रदान नहीं की जाती है।
 - 2. **उपयोग के अधिकार** लघु वन उपज (जिसमें स्वामित्व भी शामिल है), चराई वाले क्षेत्रों, चरवाहों के मार्गों आदि के लिए अधिकार।
 - राहत और विकास सम्बन्धी अधिकार- अवैध निष्कासन या बलपूर्वक विस्थापन होने पर पुनर्वास के लिए, और वन संरक्षण हेत् प्रतिबंधों के अधीन ब्नियादी स्विधाओं के लिए अधिकार
 - 4. वन प्रबंधन के अधिकार- वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए। पहली बार, यह कानून समुदाय को वन की सुरक्षा और प्रबंधन का अधिकार देता है। धारा 3 (1) (i) सामुदायिक वन संसाधनों को संरक्षित करने का अधिकार और शक्ति प्रदान करती है, जबिक धारा 5 सम्दाय को वन्यजीव, वन आदि की स्रक्षा हेत् एक सामान्य शक्ति प्रदान करती है।

46.A

Phytoplanktons are the autotrophic (self-feeding) components of the plankton community and a key part of oceans, seas, and freshwater basin ecosystems. Phytoplanktons are photosynthesizing microscopic organisms. They are agents for 'primary production,' the creation of organic compounds from carbon dioxide dissolved in the water, a process that sustains the aquatic food web.

Rainforests are responsible for roughly one-third (28%) of the Earth's oxygen but **most (70%) of the oxygen in the atmosphere is produced by marine plants.** The remaining 2 percent of Earth's oxygen comes from other sources. However, some scientists believe that oxygen contribution from phytoplankton has declined by 40 percent since 1950 due to the warming of the ocean. But still they are the single largest source of oxygen on earth.

- फाइटोप्लेंक्टैन, प्लेंक्टन समुदाय के ऑटोट्रोफ़िक (स्वपोषित) घटक होते हैं और ये महासागरों, समुद्रों और ताज़े जल-बेसिन वाले पारिस्थितिक तंत्रों के प्रमुख घटक होते हैं। फाइटोप्लेंक्टैन अतिसूक्ष्म प्रकाश संश्लेषी जीव है। वे 'प्राथिमक उत्पादक' होते हैं जो जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बिनक यौगिक का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया जलीय खाद्य जाल को पोषित करती है।
- वर्षावन पृथ्वी की लगभग 28% ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होती है। परन्तु ऑक्सीजन का अधिकांश भाग (अर्थात्
 70%) समुद्री पौधाँ द्वारा उत्पादित होता है। शेष 2 प्रतिशत ऑक्सीजन पृथ्वी को अन्य स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होती है।
- यद्यपि, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 1950 के बाद से, महासागरों के तापमान में वृद्धि के कारण ऑक्सीजन के उत्पादन में फाइटोप्लैंक्टैन का योगदान 40% तक कम ह्आ है। हालाँकि अब भी फाइटोप्लैंक्टैन पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है।

47.B

- There have been four buddhist councils.
- According to tradition a great gathering of monks met at the Magadhan capital of Rajagriha soon after the
 Buddha's death. At this first Buddhist council Upali, one of the chief disciples, recited the Vinaya Pitaka, or
 rules of the Order, as he recalled having heard the Buddha give them. Another disciple, Ananda, recited the
 Sutta Pitaka, the great collection of the Buddha's sermons on matters of doctrine and ethics.
- A second general council is said to have been held at Vaishali, one hundred years after the Buddha's
 death. Here schism raised its head, ostensibly over small points of monastic discipline, and the Order broke
 into two sections, that of the orthodox Sthaviravadins (Pali Theravadi) or "Believers in the Teaching of the
 Elders", and that of the Mahdsaiighikas or "Members of the Great Community". The minor points of
 discipline on which the Order divided were soon followed by doctrinal differences of muchgreater
 importance.
- Numerous such differences appeared at the third great council, held at Pataliputra under the patronage
 of Ashoka, which resulted in the expulsion of inany heretics and the establishment of the Sthaviravada
 school as orthodox. At this council it is said that the last section was added to the Pali scriptures, the
 Kathavattu of the Abhidhamma Pitaka, dealing with psychology and metaphysics.
- It was **in Kashmir**, **that a fourth great council was held**, under the patronage of Kaniska (1st—2nd century A.D.), at which the Sarvastivadin doctrines were codified in a summary, the *Mahavibhasa*. It was chiefly among the Sarvastivadins, but also in the old schism of the Mahasahghikas, that new ideas developed, which were to form the basis of the division of Buddhism into the "Great" and "Lesser Vehicles" (Maiiayana and Hinayana). The brahmans and their lay supporters had by now largely turned from the older gods, whom they worshipped with animal sacrifices, towards others, who were worshipped with reverent devotion.
- चार बौद्ध संगीतियां आयोजित की गयी थीं।
- परंपरा के अनुसार, बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद मगध की राजधानी राजगृह में बौद्ध भिक्षुओं का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस प्रथम बौद्ध संगीति में, बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक उपाली ने विनय पिटक या अनुशासन के नियमों का, बुद्ध द्वारा दिए गये ज्ञान के आधार पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। एक अन्य शिष्य आनन्द ने सुत पिटक या 'सिद्धांत और नैतिकता के विषय पर बुद्ध के उपदेशों के संग्रह' को व्याख्यायित किया।
- बुद्ध की मृत्यु के सौ वर्ष बाद, वैशाली में एक द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। इस संगीति में मठ के अनुशासन के विषय पर बौद्ध भिक्षुओं में विवाद उत्पन्न हो गया और बौद्ध भिक्षु दो भागों में विभाजित हो गये रूढ़िवादी स्थविरवादी (पाली थैरवादी) या 'गुरुवों की शिक्षा में विश्वास' और महासांघिक या 'महान समुदाय का सदस्य'। सिद्धांतों से संबंधित किसी छोटे से विषय पर उत्पन्न यह विवाद शीघ्र ही अधिक महत्व के सैद्धांतिक मतभेद के रूप में परिवर्तित हो गया।
- अशोक के संरक्षण में पाटिलपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति में ऐसे अनेक मतभेद सामने आए। इसके परिणामस्वरूप कई विद्रोही बौद्ध भिक्षुओं का निष्कासन और रूढ़िवादी स्थविरवाद सम्प्रदाय की स्थापना हुई। इस संगीति में पाली ग्रंथों के अन्तिम खंड के रूप में, अभिधम्मिपटक का 'कथावट्टू' (मनोविज्ञान और तत्वमीमांसा से संबंधित) जोड़ा गया।
- चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के संरक्षण में (प्रथम-द्वितीय शताब्दी ईस्वी) में कश्मीर में किया गया। यहाँ सर्वस्तिवादियों के सिद्धांतों को' महाविभाषा' में संकलित किया गया। यह मुख्य रूप से सर्वस्तिवादियों द्वारा आयोजित था

लेकिन इसका संबंध महासांधिकों के पुराने विवाद से भी रहा जो 'महान वाहन' और 'लघु वाहन' (महायान और हिनयान) में बौद्ध धर्म के विभाजन का आधार बना था।

48.A

Grasslands ecosystems have treeless herbaceous plant cover, dominated by a wide variety of grass species. Amongst the best known grassland biomes are the extensive "prairie" in the north America and "Steppe" in Russia. The rainfall in grassland region is considered too low to support a forest and much higher than the rainfall in deserts. Grazing by large herbivores and fire play significant role in maintaining the dominance of grasses and eliminating the invasion of woody species. Epiphytes are diverse and include large plants such as orchids, aroids, bromeliads, and ferns in addition to smaller plants such as algae, mosses, and lichens. They are very common in tropical rainforests.

घास भूमि पारिस्थितिक तंत्रों में वृक्षरित घास से युक्त वनस्पित आवरण होता है, जिसमें घास प्रजातियों की विविधता पायी जाती है। सर्वाधिक प्रसिद्ध घासभूमि बायोम में उत्तरी अमेरिका में विस्तृत 'प्रेयरी' और रूस में 'स्टेपी' हैं। घासभूमि क्षेत्र में वर्षा की मात्रा वनों की उत्पत्ति एवं विकास हेतु बहुत कम तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों पर होने वाली वर्षा की तुलना में बहुत अधिक होती है। शाकाहारी जीवों द्वारा अत्यधिक चराई तथा आग, घासों की प्रधानता को बनाए रखने और वन्य प्रजातियों के अतिक्रमण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एपिफाइट्स विविधतापूर्ण होते हैं इनमें बड़े पौधे जैसे कि ऑर्किड, एरोइड, ब्रोमेलीआइड और फर्न तथा छोटे पौधे जैसे कि शैवाल, मॉस, लाइकेन आदि सम्मिलत होते हैं। ये सामान्यतः उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। 44.

- Indian antelopes or blackbucks once ruled the open savannahs of north and central India, but are
 now restricted to just a few patches and habitats, primarily due to human population growth,
 ecosystem degradation and hunting. Known for their majestic spiral horns and coat colour contrasts, are
 found in grasslands and open forests.
- A wildlife conservation reserve dedicated exclusively to the blackbuck is coming up over 126
 hectares in the trans-Yamuna region of Allahabad in Uttar Pradesh. The State cabinet has approved a
 Blackbuck Conservation Reserve in the Meja forest division that is known for its rocky, undulating and arid
 terrain. A herd of around 350 blackbucks is estimated to be inhabiting the region. The U.P. government
 evoked Section 36 A (1) and (2) of the Wildlife Protection Act, 1972, to declare the conservation reserve.
- There are a few national parks and sanctuaries inhabited by blackbuck in the country, like the Velavadar Wildlife Sanctuary in Gujarat and the Ranibennur Blackbuck Sanctuary in Karnataka. However, there are not many conservation reserves exclusively dedicated to the antelope.
- Golden langur This species occurs only in Bhutan and north-eastern India (Assam). It is confined to a
 forest belt in western Assam between the Manas River in the east, Sankosh in the west and Brahmaputra in
 the south along the Indo-Bhutan border. This species is found in moist evergreen, dipterocarp, riverine, and
 moist deciduous forests, and occasionally in degraded habitats with secondary growth. Habitat destruction is
 the major threat to this species in India.
- Hangul or the Kashmir Stag is found only in the Kashmir Himalayas of India. It inhabits deciduous
 woodland, upland moors and open mountainous areas, natural grasslands, pastures and meadows.
 Poaching, by both civilian and military personnel, was identified as the main cause of the decline of the
 Hangul in the past and present.
- Indian Wild Buffalo (or Asian wild buffalo) In India, Wild Water Buffalo is now largely restricted to
 Assam, Arunachal Pradesh, and Madhya Pradesh. Wild buffaloes are tied to the availability of water.
 Historically their preferred habitats were low-lying alluvial grasslands and their surrounds, with riparian
 forests and woodlands also used. The most important threats to Wild Water Buffalo are interbreeding with
 feral and domestic buffalo, hunting, and habitat loss/degradation.
- ब्लैक बक (भारतीय एंटीलोप या कला हिरण) मुख्यतः उत्तर एवं मध्य भारत के खुले सवाना तुल्य क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाए जाते
 थे परन्तु मानव जनसंख्या वृद्धि, पारिस्थितिक तंत्र के निम्नीकरण तथा शिकार के परिणामस्वरूप अब ये केवल अपने मूल आवासीय क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए हैं। ये घास के मैदानों तथा खुले जंगल में पाए जाते हैं तथा अपने बड़े घुमावदार सींगों तथा गहरे रंग हेत् प्रसिद्ध हैं।
- उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के के 126 हेक्टेयर ट्रांस-यमुना क्षेत्र में काले हिरण हेतु समर्पित वन्यजीव संरक्षण रिजर्व है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मेजा जंगल विभाग, जो अपने चट्टानी, विषम तथा शुष्क क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है, में एक ब्लैकबक सरंक्षण रिजर्व को मंजूरी दे दी गयी है। अन्मानतः इस क्षेत्र में लगभग 350 काले हिरणों का एक झूंड अधिवास करता है। उत्तर प्रदेश सरकार

द्वारा संरक्षण रिज़र्व को घोषित करने हेतु वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 36 ए (1) एवं (2) की सहायता ली गई थी।

- देश में कुछ राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य काले हिरण के आवासीय स्थल हैं जैसे गुजरात में वेलवादर वन्यजीव अभ्यारण्य एवं कर्नाटक में रानीबेन्नूर ब्लैकबैक अभ्यारण्य। हालांकि, विशेष रूप से काले हिरण हेत् समर्पित अधिक संरक्षण रिज़र्व नहीं हैं।
- गोल्डन लंगूर यह प्रजाति केवल भूटान एवं उत्तर-पूर्वी भारत (असम) में पाई जाती है। यह भारत-भूटान सीमा से सटे पश्चिमी असम अर्थात् पूर्व में मानस नदी, पश्चिम में संकोश तथा दक्षिण में ब्रहमपुत्र नदी के मध्य के वन्य क्षेत्रों में सीमित है। यह प्रजाति आर्द्र सदाबहार वनों , डिप्टैरोकार्पस वृक्षों, नदी तटीय क्षेत्रों तथा आर्द्र पर्णपाती वनों तथा कभी-कभी अल्प विकसित निम्नीकृत आवासों में भी पाई जाती है। अधिवास विनाश, भारत में इस प्रजाति के लिए एक प्रमुख खतरा है।
- हंगुल या कश्मीरी हिरण भारत के केवल कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं। यह पर्णपाती वनक्षेत्रों, ऊँचे बंजर क्षेत्रों, खुले पहाड़ी क्षेत्रों, प्राकृतिक घास के मैदानों तथा चरागाह वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विगत समय में तथा वर्तमान में हंगुल की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण नागरिकों एवं सैन्य कर्मियों दवारा इसका शिकार है।
- भारतीय जंगली भैंसा (या एशियाई जंगली भैंसा) वर्तमान में, भारत में जंगली भैंसे व्यापक रूप से असम, अरुणाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश तक ही सीमित हैं। जंगली भैंसे की उपलब्धता पानी पर निर्भर करती है। ऐतिहासिक रूप से ये निचली जलोढ़ घासभूमि एवं इसके चारों ओर के क्षेत्र, तटवर्तीय वनों तथा वन प्रदेशों का उपयोग अपने निवास स्थानों के रूप में करते थे। जंगली भैसों के समक्ष विद्यमान खतरों में, अन्य जंगली एवं घरेलू भैंसों के साथ अंतर प्रजनन, शिकार एवं आवासीय क्षति/निम्नीकरण इत्यादि शामिल हैं।

50.B

- Climate change and sea level rise has contributed to the phenomenon of losing land, including mangrove forests in the Sundarbans, in the last part of the 21st century. Less fresh water flow and sediment supply in the western (Indian) part of the delta and the rate of sea level rise being higher than sediment supply are the major reasons. A critical minimal inflow of freshwater is necessary for the luxuriant growth of mangroves. When freshwater inflow is missing, there is a change in mangrove succession, and freshwater loving species of mangroves are replaced by salt-water loving ones.
- The eastern (Bangladesh) side of the delta is gaining land because of the huge amount of sediment and water flow from the Brahmaputra and Meghna rivers.
- The loss of forest cover occurs despite significant addition of forest land as plantations.
- A publication by the School of Oceanographic Studies, Jadavpur University, reveals that from 1986, 124.418 sq. km. mangrove forest cover has been lost. It poses a serious threat to the carbon sequestration potential and other ecosystem services of this mangrove forest in future.
- 21वीं सदी के आखिरी भाग में, जलवायु पिरवर्तन और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि ने सुंदरबन में मैंग्रोव वनों सिहत भूमि हास की पिरघटना में योगदान दिया है। डेल्टा के पिश्चिमी (भारतीय) भाग में ताजे जल का कम प्रवाह एवं अवसादों की आपूर्ति की तुलना में समुद्र के जलस्तर में उच्च वृद्धि इसके प्रमुख कारण हैं। मैंग्रोव के प्रचुर विकास के लिए ताजे जल का न्यूनतम प्रवाह आवश्यक है। ताजे जल का प्रवाह लुप्त होने से, मैंग्रोव अनुक्रमण में पिरवर्तन आ जाता है और मैंग्रोव की ताजे जल की प्रजातियां, लवणीय/खारे जल की प्रजातियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती हैं।
- ब्रहमपुत्र और मेघना निदयों से वृहत् मात्रा में अवसादों और जल के प्रवाह के कारण डेल्टा के पूर्वी (बांग्लादेश) भाग में भूमि बढ़ रही है।
- वृक्षारोपण के द्वारा वन भूमि में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी होने के बावजूद वनावरण का ह्रास हो रहा है।
- जादवपुर विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओशनोग्राफिक स्टडीज द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 1986 से
 124.418 वर्ग किमी मैंग्रोव वनावरण नष्ट हो चुके हैं। यह भविष्य में मैंग्रोव वनों की कार्बन सिंक क्षमता और अन्य पारिस्थितिक
 तंत्र सेवाओं के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।

51.D

Project Sashakt

- It was proposed by a panel led by PNB chairman Sunil Mehta.
- Bad loans of up to ₹50 crore will be managed at the bank level, with a deadline of 90 days.
- For bad loans of ₹50-500 crore, banks will enter an inter-creditor agreement, authorizing the lead bank to implement a resolution plan in 180 days, or refer the asset to NCLT.
- For loans above ₹500 crore, the panel recommended an independent AMC, supported by institutional funding through the AIF. The idea is to help consolidate stressed assets.

प्रोजेक्ट सशक्त

इसे पीएनबी के अध्यक्ष स्नील मेहता के नेतृत्व वाले एक पैनल द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

- ₹50 करोड़ तक के डूबत ऋणों को 90 दिनों की समयसीमा के साथ बैंक के स्तर पर प्रबंधित किया जाएगा।
- ₹50-500 करोड़ तक के डूबत ऋणों के संदर्भ में बैंक एक इंटर-क्रेडिटर समझौता करेंगे जिसके तहत लीड बैंक को 180 दिनों के भीतर एक समाधान योजना के क्रियान्वयन हेत् अधिकृत किया जाएगा अथवा परिसंपित को NCLT को संदर्भित किया जाएगा।
- ₹500 करोड़ से ऊपर के ऋणों के लिए पैनल ने AIF के माध्यम से संस्थागत निधीयन द्वारा समर्थित एक स्वतंत्र AMC की अन्शंसा की। पूरा कवायद संकटग्रस्त परिसम्पतियों के समेकन को लेकर है।

52.A

Fly Ash

- · It is a coal combustion product that is composed of the particulates (fine particles of burned fuel) that are driven out of coal-fired boilers together with the flue gases.
- · Ash produced by thermal power plants is a proven resource material for many applications of construction industries and
- · It is currently being utilized in Manufacture of Portland Pozzolana Cement (PPC), fly ash bricks/blocks/tiles manufacturing, road embankment construction & low lying area development, in agriculture as soil conditioner etc.
- GST rates on fly ash and its products have been reduced to 5%

फ्लाई ऐश

- यह कोयला दहन से उत्पन्न एक उत्पाद है जिसमें कणिकीय पदार्थ (जले हुए ईंधन के महीन कण) होते हैं जो कोयले से दिहत बायलर्स से फ्ल गैसों के साथ बाहर आते हैं।
- तापीय विदयुत संयत्रों द्वारा उत्पादित राख निर्माण उदयोग में कई अनुप्रयोगों वाली एक सिद्ध संसाधन सामग्री है एवं
- It is currently being utilized in Manufacture of इसे वर्तमान में पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट (PPC) के निर्माण, सड़क किनारों के निर्माण व नीचे स्थित क्षेत्रों के विकास, कृषि में मृदा कंडीशनर आदि के रूप में उपयोग किया जा रहा है।
- · फ्लाई ऐश एवं इसके उत्पादों पर GST दरों को घटाकर 5% कर दिया गया है।

53.C

Nai Udaan - Support for students clearing Preliminary Examination conducted by UPSC, SSC, State Public Service Commission (PSC), etc.

"Naya Savera" - Free coaching and Allied Scheme - to enhance skills and knowledge of students and candidates for employment through competitive examination and admission in technical and professional courses

Nai Roshni – Scheme for leadership development of minority women

नई उड़ान – संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को समर्थन

"**नया सवेरा**" – नि:शुल्क कोचिंग एवं सहायक योजना – प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नियोजन और तकनीकी एवं पेशेवर कोर्सों में प्रवेश हेत् छात्रों व अभ्यर्थियों के कौशल और ज्ञान में वृद्धि करना ।

नई रोशनी- अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना

54.A

Doklam or Zhoglam, known as Donglang in the Chinese language, is an area with a plateau and a valley, lying between Tibet's Chumbi Valley to the north, Bhutan's Ha Valley to the east and India's Sikkim state to the west. डोकलाम अथवा झोगलाम, जिसे चीनी भाषा में डोंगलांग के नाम से जाना जाता है, उत्तर में तिब्बत की चुम्बी घाटी, पूर्व में भूटान की हा घाटी तथा पश्चिम में भारत के सिक्किम राज्य के बीच एक पठार और घाटी वाला क्षेत्र है।

55.A

Tor ramadevii

- It is endemic to the south Cauvery river system and its tributaries.
- It can grow up to a length of 1.5 metres and weigh up to 55 kg and qualifies as megafauna

टोर रमादेवी

- · यह कावेरी नदी तंत्र तथा इसकी सहायक नदियों में स्थानिक है।
- यह 1.5 मीटर की लंबाई तक वाली हो सकती है और इसका वजन 55 किग्रा. तक हो सकता है तथा यह मेगाफौना की श्रेणी में आती है 56.B

Taj Trapezium Zone (TTZ)

- It is a defined area of 10,400 sq km around the Taj Mahal to protect the monument from pollution.
- The Supreme Court of India delivered a ruling on December 30, 1996 regarding industries covered under the TTZ, in response to a PIL seeking to protect the Taj Mahal from environmental pollution.

- · It banned the use of coal/ coke in industries located in the TTZ with a mandate for switching over from coal/ coke to natural gas, and relocating them outside the TTZ or shutting down.
- · The TTZ comprises over 40 protected monuments including three World Heritage Sites, the Taj Mahal, Agra Fort and Fatehpur Sikri.
- · It is spread over the districts of Agra, Firozabad, Mathura, Hathras and Etah in Uttar Pradesh and Bharatpur in Rajasthan.
- · TTZ is so named since it is located around the Taj Mahal and is shaped like a trapezoid. ताज ट्रैपेजियम जोन (TTZ)
- · यह ताजमहल के आसपास 10,400 वर्ग किमी. का परिभाषित क्षेत्र है जो इस स्मारक को प्रदूषण से बचाने के लिए है।
- स्वोच्च न्यायालय ने 30 दिसंबर 1996 को ताजमहल को पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाने की माँग करने वाली एक जनहित याचिका के जवाब में TTZ के तहत आच्छादित उदयोगों के संबंध में एक न्यायिक व्यवस्था दी।
- इसने TTZ में स्थित उद्योगों में कोयले/कोक का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया तथा कोयले/कोक की बजाए प्राकृतिक गैस के प्रयोग का अधिदेश दिया और TTZ से बाहर जाने अथवा अपने प्रतिष्ठान बंद करने का आदेश जारी किया।
- · TTZ के अंतर्गत 40 से अधिक संरक्षित स्मारक आते हैं जिनमें तीन विश्व विरासत स्थल नामत: ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी शामिल हैं।
- · यह उप्र के आगरा, फिरोजाबाद, मथ्रा, हाथरस और एटा तथा राजस्थान के भरतप्र जिले में विस्तृत है।
- TTZ को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह ताजमहल के इर्दगिर्द स्थित हैं और इसकी आकृति एक विषम चतुर्भुज जैसी है।

All the statements are correct.

UJJAWALA: A Comprehensive Scheme for Prevention of Trafficking and Rescue, Rehabilitation and Re-Integration of Victims of Trafficking for Commercial Sexual Exploitation

Objectives

- · To prevent trafficking of women and children for commercial sexual exploitation through social mobilization and involvement of local communities, awareness generation programmes, generate public discourse through workshops/seminars and such events and any other innovative activity.
- · To facilitate rescue of victims from the place of their exploitation and place them in safe custody
- · To provide rehabilitation services both immediate and long-term to the victims by providing basic amenities/needs such as shelter, food, clothing, medical treatment including counselling, legal aid and guidance and vocational training.
- To facilitate reintegration of the victims into the family and society at large
- To facilitate repatriation of cross-border victims to their country of origin.

सभी कथन सत्य हैं।

उज्ज्वला: यह व्यवसायिक यौन शोषण के लिए किए जाने वाले महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने की एक व्यापक योजना है। उद्देश्य

- · सामाजिक लामबंदी और स्थानीय समुदायों की भागीदारी, जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं/सेमिनारों तथा ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जन वार्ता का निर्माण तथा अन्य नवाचारी गतिविधि के माध्यम से व्यवसायिक यौन शोषण के लिए किए जाने वाले महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार को रोकना।
- · शोषण स्थल से पीड़ित को बचाने के कार्य को स्विधाजनक बनाना और उन्हें स्रक्षित हिरासत में रखना।
- · पीड़ित को आधारभूत सुविधाएं/आवश्यकताएं जैसे आश्रय, भोजन, वस्त्र, तथा परामर्श, कानूनी सहायता व मार्गदर्शन व वोकेशनल ट्रेनिंग सिहत चिकित्सकीय सहायता प्रदान करके तात्कालिक तथा दीर्घकालीन पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना।
- पीड़ित के उसके परिवार तथा समाज के साथ प्नर्एकीकरण को स्विधाजनक बनाना।
- सीमा पार से आए पीड़ितों की उनके मूल देश वापसी सुनिश्चित करना।

58.B

All India Survey on Higher Education report 2017-18

- · To portray the status of higher education in the country, Ministry of Human Resource Development conducts an annual web-based All India Survey on Higher Education (AISHE) since 2010-11.
- The survey covers all the Institutions in the country engaged in imparting of higher education.
- · Data is collected on several parameters such as teachers, student enrolment, programmes, examination results, education finance, and infrastructure.

- · Indicators of educational development such as Institution Density, Gross Enrolment Ratio, Pupil-teacher ratio, Gender Parity Index, Per Student Expenditure is also be calculated from the data collected through AISHE.
- These are useful in making informed policy decisions and research for development of education sector. **Highlights**
- The total number of teachers in higher educational institutions in India has come down by about 2.34-lakh in the last three years.
- The total number of teachers in higher educational institutions in India inclusive of all posts from professor to temporary teacher stood at 12.84 lakh in 2017-18.
- The figure for 2016-17 was 13.65 lakh and that for 2015-16 was 15.18 lakh, signalling a fall of about 2.34 lakh within three years.
- · Between 2011-12 and 2015-16, the number had been rising from 12.47 lakh to 15.18 lakh.

ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एज्केशन रिपोर्ट 2017-18

- देश में उच्च शिक्षा का स्तर दर्शाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2010-11 से एक वार्षिक वेब-आधारित ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (AISHE)।
- यह सर्वे देश के उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को कवर करता है।
- · 🔻 डेटा कई कसौटियों जैसे शिक्षक, छात्र दाखिला, कार्यक्रम, परीक्षा परिणाम, शिक्षा वित्त और अवसंरचना पर एकत्र किया जाता है।
- · AISHE के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा में संस्थान घनत्व, सकल नामांकन अनुपात, शिष्य-शिक्षक अनुपात, लिंग समानता अनुपात,प्रति छात्र व्यय आदि शैक्षिक विकास के संकेतकों की गणना भी की जाती है।
- · ये सब शिक्षा क्षेत्र के विकास हेत् सूचित नीति निर्णयों एवं शोध के लिए लाभदायक हैं।


मुख्य बातें

- · भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कुल संख्या पिछले तीन वर्षों में लगभग 2.34 लाख से कम हो गई है।
- भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कुल संख्या— जिसमें प्रोफेसर से लेकर अस्थायी शिक्षक तक शामिल हैं, 2017-18 में12.84 लाख थी।
- 2016-17 के लिए यह संख्या 13.65 लाख थी और 2015-16 के लिए 15.18 लाख जो तीन सालों के भीतर इस संख्या के 2.34 लाख कम होने का संकेत देती है।
- · 2011-12 से 2015-16 के बीच यह संख्या 12.47 लाख से बढकर 15.18 लाख हुई।

59.A

Ministry of Electronics & Information Technology (MEITY) had constituted an Expert Committee to study and identify key data protection issues and recommend methods to address them. The ten-member committee was headed by Supreme Court Judge (retired) Justice B N Srikrishna.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने डेटा सुरक्षा के प्रमुख मुद्दों का अध्ययन करने और उनकी पहचान करने तथा उनके समाधान की विधियों की अनुशंसा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। इस दस सदस्यीय समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेनि. न्यायाधीश बी एन श्रीकृष्णा कर रहे हैं।



60.A

Settling the decades long debate on the issue of the right to privacy being a fundamental right, the Supreme Court held that right to privacy is protected under Article 21 of the Constitution of India. Right to privacy is protected as intrinsic part of right to life and liberty.

निजता के अधिकार के मौलिक अधिकार होने संबंधी दशकों पुरानी बहस को विराम देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। निजता का अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित है।

61.D

Polymetallic nodules (also known as manganese nodules) are potato-shaped, largely porous nodules found in abundance carpeting the sea floor of world oceans in deep sea. Besides manganese and iron, they contain nickel, copper, cobalt, lead, molybdenum, cadmium, vanadium, titanium, of which nickel, cobalt and copper are considered to be of economic and strategic importance.

India has been allotted a site of 1,50,000 sq. km in the Central Indian Ocean Basin (CIOB) by the UN International Sea Bed Authority for exploitation of polymetallic nodules (PMN).

पॉलीमैटेलिक नोड्यूल्स (जिन्हें मैंगनीज नोड्यूल्स भी कहा जाता है) आलू की आकृति, वाले मुख्यत: छिद्रित नोड्यूल्स हैं गहरे सागर में विश्व के महासागरों के तल पर प्रचुरता में पाए जाते हैं। मैंगनीज और लौह के अतिरिक्त, इसमें निकल, कोबाल्ट और तांबा, लेड, मॉलिब्डेनम,कैडमियम, वनैडियम, टाइटेनियम आदि भी होते हैं जिसमें से निकल, कोबाल्ट और तांबा आर्थिक और सामरिक महत्व के समझे जाते हैं।

भारत को सेंट्रल इंडियन ओसियन बेसिन (CIOB) में सं.रा. इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी द्वारा 1,50,000 वर्ग किमी. का क्षेत्र पॉलीमैटेलिक नोड्यूल्स (PMN) के दोहन हेत् आवंटित किया गया है।

62.B

D Voter

D voter, sometimes also referred to as Dubious voter or Doubtful voter is a category of voters in Assam who are disenfranchised by the government on the account of their alleged lack of proper citizenship credentials.

· The D voters are determined by special tribunals under the Foreigners Act, and the person declared as D voter is not given the elector's photo identity card.

डी-मतदाता

- ं डी-मतदाता, जिन्हें कई बार जाली मतदाता अथवा संदिग्ध मतदाता भी कहा जाता है, असम में मतदाताओं की एक श्रेणी है, जिन्हें सही नागरिकता प्रमाण न होने के आरोपों के चलते सरकार दवारा मतदाता सूची से हटा दिया गया है।
- े डी-मतदाताओं का निर्धारण विशेष ट्रिब्यूनलों द्वारा फॉरनर्स अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है और डी-मतदाता घोषित व्यक्ति को मतदाता पहचान पत्र नहीं दिया जाता।

63.D

European Union General Data Protection Regulation (GDPR) has been designed to protect the personal data of E.U. residents.

GDPR

- It is a regulation in EU law on data protection and privacy for all individuals within the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA). It also addresses the export of personal data outside the EU and EEA areas.
- The GDPR aims primarily to give control to citizens and residents over their personal data and to simplify the regulatory environment for international business by unifying the regulation within the EU.
- · GDPR's regulations are only applicable if the company has a presence, offers goods or services, or monitors individuals' behaviours in the European Union.

यूरोपीय संघ जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) को यूरोपीय निवासियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा हेतु डिज़ाइन किया गया है। GDPR

- · यह डेटा सुरक्षा तथा यूरोपीय संघ (EU) एवं यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA) की सीमा के भीतर निवासित सभी व्यक्तियों की निजता के संरक्षण हेत् EU क़ानून में का एक विनियम है।
- · GDPR का उद्देश्य नागरिकों और निवासियों को उनके व्यक्तिगत डेटा पर नियन्त्रण देना और यूरोपीय संघ के भीतर विनियमन को एकबद्ध कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेत् विनियामकीय माहौल को सरल बनाना है।
- · GDPR के विनियम तभी लागू होते है जब कम्पनी की उपस्थिति यूरोपीय संघ में है तथा यह इस क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं का प्रस्ताव करती है अथवा व्यक्तियों के व्यवहारों की निगरानी करती है।

64.D

Hepatitis C

- · Hepatitis C is a liver disease caused by the hepatitis C virus: the virus can cause both acute and chronic hepatitis, ranging in severity from a mild illness lasting a few weeks to a serious, lifelong illness.
- The hepatitis C virus is a bloodborne virus and the most common modes of infection are through exposure to small quantities of blood. This may happen through injection drug use, unsafe injection practices, unsafe health care, and the transfusion of unscreened blood and blood products.
- · A significant number of those who are chronically infected will develop cirrhosis or liver cancer.
- Antiviral medicines can cure more than 95% of persons with hepatitis C infection, thereby reducing the risk of death from liver cancer and cirrhosis, but access to diagnosis and treatment is low.
- There is currently no vaccine for hepatitis C; however research in this area is ongoing.
- · Hepatitis C can be spread through sexual intercourse, but the risk is considered to be low. It is rare among monogamous couples.

हेपेटाइटिस सी

- हेपेटाइटिस सी यकृत की एक बीमारी है जो हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होती है: इस वायरस से गंभीर और दीर्घकालिक दोनों प्रकार का हेपेटाइटिस हो सकता है, जिसकी गंभीरता का स्तर कई सप्ताह तक चलने वाले हल्के बुखार से लेकर जीवन भर चलने वाली गंभीर बीमारी तक हो सकता है।
- े हेपेटाइटिस सी वायरस एक रक्तवाहित वायरस है और इसके संक्रमण की सर्वाधिक सामान्य विधियाँ हैं रक्त की थोड़ी सी मात्रा के सम्पर्क में आना। यह टीकाकरण, ड्रग प्रयोग, टीकाकरण के असुरक्षित तरीके, असुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल और बिना जांच वाले रक्त रक्त एवं रक्त उत्पादों के संचरण से हो सकता है।
- · दीर्घकालीन संक्रमण वाले लोगों की एक बड़ी संख्यां को सायरोसिस अर्थात यकृत कैंसर हो जाता है।
- · एंटीवायरल दवाएं हेपेटाइटिस सी संक्रमण वाले 95% से अधिक रोगियों को ठीक कर सकती हैं, अत: यकृत कैंसर व सायरोसिस से होने वाली मौतों के जोखिम को घटाया जा सकता है किंतु रोगनिदान और चिकित्सा तक पहुँच निम्न है।
- · वर्तमान में हेपेटाइटिस सी का कोई टीका नहीं है; हालांकि इस क्षेत्र में शोध जारी हैं।

े हेपेटाइटिस सी यौन संपर्क के जरिए संचारित हो सकता है, किंतु इसका जोखिम कम है। एक साथी वाले युगलों में यह सामान्यत: नहीं होता।

65.B

It is chaired by Defence Minister.

Other Members

- · Minister of State for Defence
- Chief of Army Staff
- Chief of Naval Staff
- Chief of Air Staff
- Defence Secretary
- Secretary Defence Research & Development
- · Secretary Defence Production
- Chief of Integrated Staff Committees HQ IDS
- · Director General (Acquisition)
- Dy. Chief of Integrated Defence

रक्षा मंत्री दवारा इसकी अध्यक्षता की जाती है।

अन्य सदस्य

- · रक्षा राज्य मंत्री
- · थल सेना अध्यक्षChief of Army Staff
- · वायु सेना अध्यक्ष
- · रक्षा सचिव
- · रक्षा शोध एवं विकास सचिव
- · रक्षा उत्पादन सचिव
- · इंटीग्रेटेड स्टाफ समिति HQ IDS प्रमुख
- · एकीकृत डिफेन्स के उपप्रमुख

66.B

Kapu refers to a social grouping of agriculturists found primarily in the southern Indian states of Andhra Pradesh and Telangana (the Telugu-speaking states). Kapus are primarily an agrarian community, forming a heterogeneous peasant caste.

Marathas is a group of castes in India found predominantly in the state of Maharashtra.

Khasis are an indigenous ethnic group of Meghalaya, with a significant population in the bordering state of Assam, and in certain parts of Bangladesh. The Khasi people are the native people of Meghalaya and forms the majority of the state population.

All these communities were in news.

कापू कृषकों के सामाजिक समूह हैं जो दक्षिण के आंध्रप्रदेश तेलंगाना राज्य (तेलुगु भाषी राज्य) में पाए जाते हैं। कापू प्रमुख रूप से एक कृषि समुदाय है जो एक असदश काश्तकार जाति है।

मराठा जातियों का एक समूह है जो मुख्यत: महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है।

खासी लोग मेघालय का एक मूल जातीय समूह है जिसकी जनसँख्या का एक बड़ा भाग सीमावर्ती असम और बांग्लादेश के चुनिंदा भागों में पाया जाता है। खासी लोग मेघालय के मूल निवासी हैं और राज्य की जनसँख्या में इनका बहुमत है।

ये सभी सम्दाय स्र्खियों में थे।

67.C

Biochemical Oxygen Demand or Biological Oxygen Demand, is a measurement of the amount of dissolved oxygen (DO) that is used by aerobic microorganisms when decomposing organic matter in water.

बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अथवा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, घुली हुई ऑक्सीजन (DO) की एक माप है जिसका प्रयोग वायवीय सुक्ष्म जीवों दवारा जल में जैविक पदार्थ के अपघटन के समय किया जाता है।

68.B

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)

It is the flagship scheme of the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE).

- The objective of this Skill Certification Scheme is to enable a large number of Indian youth to take up industry-relevant skill training that will help them in securing a better livelihood.
- · It enables prospective youth to take up Short Term Training (STT) and Recognition of Prior Learning (RPL) through accredited and affiliated training centers.

Recognition of Prior Learning (RPL)

- · It is a platform to certify those individuals who have work experience in a concerned skill or have learned a skill without formal training or qualification.
- · Individuals will be certified according to the National Skills Qualification Framework (NSQF).

RPL process Comprises of five Steps:

- · Mobilization
- Counselling & Pre screening
- Orientation
- · Final Assessment
- · Certification & pay-out

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

- · यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की एक फ्लैगशिप योजना है।
- इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं की एक बड़ी संख्या को उद्योग-सम्मत कौशल लेने में सक्षम बनाना है जो एक बेहतर आजीविका पाने में उनकी सहायता करेगी।
- यह संभावनाशील युवाओं को प्रमाणित और संबद्ध प्रशिक्षण केन्द्रों से शोर्ट टर्म ट्रेनिंग (STT) और रिकग्निशन ऑफ़ प्रायर लर्निंग (RPL)प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

रिकग्निशन ऑफ़ प्रायर लर्निंग (RPL)

- यह उन व्यक्तियों को प्रमाणित करने का प्लेटफार्म है जिन्हें किसी संबंधित कौशल का कार्य अनुभव है अथवा जो बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और योग्यता के किसी कौशल को सीख चुके हैं।
- · व्यक्तियों को नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।

RPL प्रक्रिया के पाँच चरण हैं:

- · मोबिलाइजेशन
- काउंसलिंग व प्री-स्क्रीनिंग
- · ओरिएंटेशन
- · फाइनल असेसमेंट
- · सर्टिफिकेशन तथा पे-आउट

69.B

Dumping is said to occur when the goods are exported by a country to another country at a price lower than its normal value. This is an unfair trade practice which can have a distortive effect on international trade. Anti-dumping is a measure to rectify the situation arising out of the dumping of goods and its trade distortive effect. Thus, the purpose of anti-dumping duty is to rectify the trade distortive effect of dumping and re-establish fair trade. The use of anti-dumping measure as an instrument of fair competition is permitted by the WTO. In fact, anti-dumping is an instrument for ensuring fair trade and is not a measure of protection per se for the domestic industry. It provides relief to the domestic industry against the injury caused by dumping.

Anti-dumping duty is recommended by Ministry of Commerce and imposed by Ministry of Finance.

Countervailing duty (CVD) is an additional import duty imposed on imported products (by the importing country) when such products enjoy benefits like export subsidies and tax concessions in the country of their origin (i.e. where it is produced and exported). CVD is thus an import tax by the importing country on imported products. It is an attempt to ensure fair and market oriented pricing of imported products and thereby protecting domestic industries and firms. The most popular example for CVD is the imposition of additional duty by an importing country when the product has given export subsidy by the exporter/producer country.

डंपिंग तब होती है जब एक देश द्वारा दूसरे देश को वस्तुएं उसके सामान्य मूल्य से कम पर निर्यात की जाती हैं। यह एक अनुचित व्यापार व्यवहार जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विध्वंसक प्रभाव डाल सकता है। एंटी-डंपिंग शुल्क वस्तुओं की डंपिंग और इसके ध्वंसकारी प्रभावों को ठीक करने का एक उपाय है। इस प्रकार, एंटी-डंपिंग शुल्क का उद्देश्य डंपिंग के ध्वंसकारी प्रभावों को ठीक करना और उचित व्यापार को पुन: स्थापित करना है। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के एक उपकरण के रूप में एंटी-डंपिंग उपायों की अनुमति WTO द्वारा दी जाती है। वास्तव

KUMAR'S IAS

PCS

में,एंटी-डंपिंग निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने का एक उपकरण है तथा घरेलु उद्योग के लिए अपने आप में एक संरक्षण उपाय नहीं है। यह घरेलु उदयोग को डंपिंग के कारण होने वाली क्षति के विरुद्ध राहत प्रदान करती है।

वाणिज्य मंत्रालय एंटी-डंपिंग श्ल्क की अन्शंसा करता है और वित्त मंत्रालय इसे लगाता है।

काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) एक अतिरिक्त आयात शुल्क है जो आयातित उत्पादों (आयात करने वाले देश द्वारा) तब लगाया जाता है जब ऐसे उत्पादों को अपने मूल देश (जहाँ इसे उत्पादित और जहाँ से इसे निर्यात किया जाता है) में निर्यात सब्सिडी व कर छूट जैसे लाभ मिलते हैं। यह निष्पक्ष और आयातित उत्पादों का बाजार उन्मुख मूल्य सुनिश्चित करने का एक प्रयास है तथा इस प्रकार यह धरेलू उद्योगों और फर्मों को संरक्षण देती है। CVD का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है आयातित देश द्वारा उस समय अतिरिक्त शुल्क लगा देना जब उस उत्पाद को उसके निर्यातक देश/उत्पादनकर्ता दवारा निर्यात सब्सिडी दी गई हो।

70.C

Microcephaly

- · Babies born with microcephaly have significantly smaller head size compared with normal babies.
- · The envelop protein (E protein) of the virus, which is responsible for the entry of the virus into brain stem cells, is responsible for arresting the proliferation of human foetal neural stem cells and also killing the cells that were becoming neuron-like.
- The combined effect reduces the pool of foetal brain cells leading to smaller size of the brain.

Zika virus transmitted from mother to fetus during pregnancy, through sexual contact, transfusion of blood and blood products, and organ transplantation may result in microcephaly.

माइक्रोसिफेली

- · माइक्रोसिफेली के साथ जन्मे शिश्ओं के कपाल का आकार सामान्य शिश्ओं की अपेक्षा अत्यंत कम होता है।
- ं वायरस का एनवलप प्रोटीन (ई प्रोटीन), जो वायरस के मस्तिष्क की स्टेम कोशिकाओं में घुसने हेतु जिम्मेदार है, ही मानव भ्रूण की तंत्रिका स्टेम कोशिकाओं के प्रसार को रोकने हेत् तथा उन कोशिकाओं को मारने हेत् भी जिम्मेदार है जो न्यूरॉन-जैसी बन रही थी।
- इसका संयुक्त प्रभाव भ्रूण मस्तिष्क कोशिकाओं के पूल को घटा देता है जिससे मस्तिष्क का आकार छोटा रह जाता है। गर्भवती महिला से भ्रूण को संचारित, यौन संपर्क द्वारा, रक्त अथवा रक्त उत्पादों के संचरण द्वारा एवं अंग प्रत्यारोपण द्वारा संचारित जीका वायरस माइक्रोसेफली का कारण बन सकता है।

71.A

The Worldwide Governance Indicators are a compilation of the perceptions of a very diverse group of respondents, collected in large number of surveys and other cross-country assessments of governance.

Based on a long-standing research program of the World Bank, the Worldwide Governance Indicators capture six key dimensions of governance (Voice & Accountability, Political Stability and Lack of Violence, Government

Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, and Control of Corruption) between 1996 and present. They measure the quality of governance in over 200 countries, based on close to 40 data sources produced by over 30 organizations worldwide and are updated annually since 2002.

वर्ल्डवाइड गवर्नेंस इंडीकेटर्स प्रतिक्रिया प्रदाताओं के अत्यंत विविध समूह के नजरियों का संकलन है जिसे गवर्नेंस संबंधी अनेकों सर्वेक्षणों और देशपारीय आकलनों में एकत्र किया जाता है।

विश्व बैंक के एक लंबे समय से चल रहे शोध कार्यक्रम पर आधारित वर्ल्डवाइड गवर्नेस इंडीकेटर्स, 1996 से अब तक की अविध में गवर्नेस के छ: आयामों (आवाज व जवाबदेयता, राजनीतिक स्थायित्व तथा हिंसा की कमी, सरकार की प्रभाविता, विनियामकीय गुणवत्ता, विधि का शासन, तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण) को लक्षित करते हैं। ये 200 से अधिक देशों में गवर्नेस की गुणवत्ता मापते हैं जो विश्वभर में फैले 30 से अधिक संगठनों दवारा निर्मित 40 के लगभग डेटा स्त्रोतों पर आधारित होता है तथा 2002 से प्रतिवर्ष अदयतन किया जाता है।

72 C

The World Bank has approved Atal Bhujal Yojana (ABHY), a Rs.6000 crore scheme, for sustainable management of ground water. The funding pattern is 50:50 between Government of India and the World Bank. The scheme is to be implemented over a period of five years from 2018-19 to 2022-23. The identified over-exploited and water stressed areas for the implementation of the scheme fall in the States of Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh.

विश्व बैंक ने भूजल के धारणीय प्रबंधन के लिए 6000 करोड़ रुपए की अटल भूजल योजना (ABHY) का अनुमोदन किया है। इसका वित्तयन प्रारूप भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच 50:50 के आधार पर है। यह योजना 2018-19 से लेकर 2022-23 तक पाँच वर्षों की अविधि तक क्रियान्वित की जानी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पहचाने गए अति-दोहित और जल-दबावग्रस्त क्षेत्र गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक,मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं।

73.C

Ministries of Power and Textiles have joined hands under a new initiative SAATHI (Sustainable and Accelerated Adoption of efficient Textile technologies to Help small Industries). Under this initiative, Energy Efficiency Services Limited (EESL), a public sector entity under the administrative control of Ministry of Power, would procure energy efficient Powerlooms, motors and Rapier kits in bulk and provide them to the small and medium Powerloom units at no upfront cost.

EESL will replace old inefficient electric motors with energy efficient IE3 motors which will result in energy and cost saving up to 10-15% in the first phase.

The SAATHI initiative of the Government will be jointly implemented by EESL and the office of the Textile Commissioner on a pan-India basis.

विद्युत और वस्त्र मंत्रालय ने एक नई पहल SAATHI (सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ़ इफिशन्ट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्माल इंडस्ट्रीज) के अंतर्गत हाथ मिलाया है। इस पहल के अंतर्गत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL), जो कि विद्युत मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का निकाय है, बड़ी मात्रा में उर्जा दक्ष करघों, मोटरों और रेपिएर किटों का क्रय करेगा और उन्हें लघु एवं मध्यम विद्युत करघा इकाईयों को बिना अग्रिम लागत के मुहैया कराएगी।

EESL अदक्ष मोटरों को उर्जा दक्ष IE3 मोटरों के साथ बदलेगी जिससे प्रथम चरण में उर्जा और लागत की 10-15% बचत होगी। सरकार की SAATHI पहल EESL और वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से अखिल भारतीय आधार पर क्रियान्वित की जाएगी 74 C

Article 340 - Appointment of a Commission to investigate the conditions of backward classes

- The President may by order appoint a Commission consisting of such persons as he thinks fit to investigate the conditions of socially and educationally backward classes within the territory of India and the difficulties under which they labour and to make recommendations as to the steps that should be taken by the Union or any State to remove such difficulties and to improve their condition and as to the grants that should be made for the purpose by the Union or any State the conditions subject to which such grants should be made, and the order appointing such Commission shall define the procedure to be followed by the Commission
- A Commission so appointed shall investigate the matters referred to them and present to the President a report setting out the facts as found by them and making such recommendations as they think proper
- The President shall cause a copy of the report so presented together with a memorandum explaining the action taken thereon to be laid before each House of Parliament

अनुच्छेद 340 – पिछड़े वर्गो की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति

- राष्ट्रपित भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिएं उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिएं और जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान किए जाने चाहिएं उनके बारे में सिफारिश करने के लिए, आदेश द्वारा, एक आयोग नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो वह ठीक समझे और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।
- ः इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को निर्देशित विषयों का अन्वेषण करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जिसमें उसके द्वारा पात्र गए तथ्य उपवार्णित किए जाएंगे और जिसमें ऐसी सिफारिशें की जाएंगी जिन्हें आयोग उचित समझे।
- राष्ट्रपति, इस प्रकार दिए गए प्रतिवेदन की एक प्रति, उस पर की गई कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

75 B

The Black Sea is a body of water between Eastern Europe and Western Asia, bounded by Bulgaria, Georgia, Romania, Russia, Turkey, and Ukraine. It is supplied by a number of major rivers, such as the Danube, Dnieper, Rioni, Southern Bug, and Dniester.

काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच एक जल निकाय है जो बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन द्वारा आबद्ध है। इसमें जल की आपूर्ति अनेक प्रमुख नदियों जैसे डेन्यूब, नीपर, रिओनी, साउथर्न बग और नीस्टर द्वारा होती है।



76.B

Statement 1 is not correct.: Article 244 in Part X of the Constitution envisages a special system of administration for certain areas designated as 'scheduled areas' under 5th Schedule and 'tribal areas' under 6th schedule.

Tribes Advisory Council: Each state having 'scheduled areas' has to establish a tribes advisory council to advise on welfare and advancement of the scheduled tribes.

'Tribal Areas' are designated under 6th schedule and they are administered by the autonomous district council. **Statement 2 is correct:** Tribes Advisory Council consists of 20 members, three-fourths of whom are to be the representatives of the scheduled tribes in the state legislative assembly.

- कथन 1 सही नहीं है: संविधान के भाग X (10) में अनुच्छेद 244 के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों के प्रशासन हेतु एक विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। इन्हें छठवीं अनुसूची के तहत 'जनजातीय (आदिवासी) क्षेत्र' और पाँचवीं अनुसूची के तहत 'अनुसूचित क्षेत्रों' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
- जनजातीय सलाहकार परिषद : अनुसूचित क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं उन्नित के विषय में सलाह देने हेत् एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी।
- 'जनजातीय क्षेत्रों' को छठवीं अन्सूची के तहत निर्दिष्ट किया गया है और वे स्वायत जिला परिषद दवारा प्रशासित होते हैं।
- कथन 2 सही है: जनजाति सलाहकार परिषद में 20 सदस्य होते हैं जिनमें से तीन-चौथाई राज्य विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं।

77.D

Statements 1 and 2 are correct and statement 3 is not correct.

Sea turtles, especially the leatherback, keep jellyfish under control, thereby helping to maintain healthy fish stocks in the oceans. The Green turtle feeds on sea grass beds and by cropping the grass provide a nursery for numerous species of fish, shellfish and crustaceans. The Hawksbill feeds on sponges in the reef ecosystem and opens up crevices for other marine life to live in. Turtles are also transporters of nutrients and energy to coastal areas. Unhatched eggs, eggshells and fluids help foster decomposers and create much needed fertilizer in sandy beaches.

As turtle populations in general decline, so does their ability to play a vital role in maintaining the health of the world's oceans. Integrated **conservation** measures are needed to rebuild their populations to healthy levels so that they can carry out the full extent of their key roles in ocean ecosystems.

There are five species in Indian waters — Leatherback, Loggerhead, Hawksbill, Green and Olive Ridley. In India, sea turtles are protected under the Indian Wildlife Protection Act of 1972, under the Schedule I Part II. Turtles face grave threats such as that bycatch, which is the name given to ocean animals that are unintentionally caught by fishing gear.

कथन 1 एवं 2 सही हैं तथा कथन 3 सही नहीं है।

समुद्री कछुओं विशेषकर लेदरबैक, जेलीफ़िश की संख्या को नियंत्रित रखते हैं जिससे महासागरों में स्वस्थ मत्स्य भण्डार को बनाए रखने में सहायता मिलती है। समुद्र तलीय घास (sea grass bed) ग्रीन टर्टल का आहार/भोजन है तथा यह मछली, शेल फिश तथा क्रस्टेशियस की कई प्रजातियों हेतु एक नर्सरी प्रदान करते हैं। हॉक्सबिल कछुआ चट्टानी पारिस्थितिकी तंत्र (Reef Ecosystem) में भोजन हेतु स्पॉन्जस (Sponges) पर आश्रित होता है जिससे अन्य समुद्री जीवों के चट्टान के भीतर रहने हेत् स्थान निर्मित हो जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में कछुए

पोषक तत्वों एवं ऊर्जा के परिवाहक होते हैं। अपरिपक्व (Unhatched) अंडे, अंडे के शैल एवं तरल पदार्थ अपघटकों को पोषण प्रदान करते हैं तथा रेतीले समुद्री तटों में अतिआवश्यक उर्वरक का निर्माण करते हैं।

कछुओं की आबादी, जो विश्व के महासागरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है, में सामान्य रूप से गिरावट हो रही है। इनकी आबादी को स्वस्थ स्तरों पर वृद्धि करने हेतु **समेकित संरक्षण उपायों** को अपनाये जाने की आवश्यकता है ताकि वे महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्रों में महत्त्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकें।

भारतीय जल में कछुओं की मुख्यतः पाँच प्रजातियों पाई जाती हैं- लेदरबैक, लॉगरहेड, हॉक्सबिल, ग्रीन एवं ऑलिव रिडले। भारत में समुद्री कछुए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची । भाग ॥ के अंतर्गत संरक्षित हैं। कछुओं को बायकैच (bycatch) (समुद्री जीव जो अनजाने में फिशिंग गियर में पकड़े जाते हैं, को दिया गया नाम) जैसे गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है।

78.B

- The Akali Movement developed on a purely religious issue but ended up as a powerful episode of India's freedom struggle. It was a non-violent non-cooperation satyagraha launched by the Akalis in 1921.
- It aimed at liberating the Sikh Gurudwaras from the control of corrupt Mahants who were a loyalist and reactionary, enjoying government patronage.
- Heartened by the support of nationalist forces in the country, they extended the scope of their movement to
 completely root out Government interference in their religious places. They began to see their movement as
 an integral part of the national struggle. Consequently, within the SGPC, too, the non-cooperator nationalist
 section took control.
- In May 1921, the Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee (SGPC) passed a resolution in favour
 of non-cooperation, for the boycott of foreign goods and liquor, and for the substitution of
 panchayats for the British courts of law. The Akali leaders, arrested for the breaking of law, also refused
 to defend themselves, denying the jurisdiction of foreign-imposed courts.
- Finally, the Government passed the Sikh Gurudwaras Act in 1925 which gave the control of Gurudwaras to the Sikh masses to be administered through Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee (SGPC) as the apex body.
- Option (b) is not correct- The origin of the Singh Sabha Movement lay in the realization by the Sikh leaders that Sikhism was dominated by Hindu practices and should be reformed to accord with the ideals of the Sikh Gurus. The movement was also reacting to the proselytizing activities of the Christian missionaries and the Hindu Arya Samaj movement in the Punjab. The immediate cause of the beginning of the movement was the decision of four Sikh students of the Amritsar Mission School, early in 1873, to embrace Christianity. It gave a rude shock to the Sikh leaders. They succeeded in persuading these students to change their decisions and to continue living as Sikhs. A meeting of Sikh leaders, including prominent Gianis, Nirmalas and Udasis was held in Amritsar, on 1st Oct, 1873. As a result of their deliberations, a society named 'Sri Guru Singh Sabha' was constituted and registered under existing law. The objectives of the Singh Sabha movement were to propagate the principles of Sikhism in its pure form, to remove untouchability, to perform Sikh ceremonies at the time of birth, marriage and death, to publish literature on the Sikh religion and history, to popularize the teaching of Gurmukhi, to reclaim apostates (patits) and to provide secondary and higher education to Sikhs and others. Hence, only statement (b) is not correct.
- अकाली आंदोलन का विकास एक विशुद्ध रूप से एक धार्मिक मुद्दे पर हुआ था किन्तु इसकी समाप्ति भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में हुई। यह 1921 में अकालियों द्वारा प्रारंभ किया गया एक अहिंसक असहयोग सत्याग्रह था।
- इसका उद्देश्य सिख गुरुद्वारों को अष्ट महंतों के नियंत्रण से मुक्त कराना था। ये महंत सरकार के प्रति वफादार और प्रतिक्रियावादी थे तथा सरकार के संरक्षण का लाभ उठा रहे थे।
- देश में राष्ट्रवादी शक्तियों के समर्थन से उत्साहित होकर उन्होंने अपने धार्मिक स्थलों पर सरकारी हस्तक्षेप को पूर्ण रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से आंदोलन को विस्तारित किया। वे अपने आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन के एक अभिन्न अंग के रूप में देखने लगे। परिणामस्वरूप, SGPC का नियंत्रण भी उसके भीतर के असहयोगी राष्ट्रवादी लोगों के हाथ में आ गया।
- मई 1921 में, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने विदेशी वस्तुओं और शराब के बहिष्कार तथा ब्रिटिश अदालतों के स्थान पर पंचायतों के प्रतिस्थापन हेतु असहयोग के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया। कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार किए गए अकाली नेताओं ने स्वयं का बचाव करने से इनकार कर दिया और विदेशी अदालतों के क्षेत्राधिकार को भी नहीं माना।

- अंत में, सरकार ने 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया। इसने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) को सर्वोच्च निकाय के रूप में, प्रशासित करने हेत् सिखों के गुरुद्वारों का नियंत्रण सौंप दिया।
- विकल्प (b) सही नहीं है- सिख नेताओं द्वारा इस सन्दर्भ में सिंह सभा आंदोलन की उत्पत्ति हुई थी कि सिख धर्म में हिंदू प्रथाओं का वर्चस्व है और सिख गुरुओं के आदर्शों के अनुसार इसमें सुधार किया जाना चाहिए। इस आंदोलन ने पंजाब में ईसाई मिशनिरयों और हिंदू आयं समाज आंदोलन के धर्मांतरण कार्यक्रमों पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आंदोलन की शुरुआत का तत्कालिक कारण 1873 के प्रारंभ में अमृतसर मिशन स्कूल के चार सिख विद्यार्थियों द्वारा ईसाई धर्म को स्वीकारने का निर्णय था। इससे सिख नेताओं को एक गहरा आघात लगा। वे इन विद्यार्थियों को उनका निर्णय बदलने और सिख बने रहने के लिए राजी करने में सफल हुए। 1 अक्टूबर 1873 को अमृतसर में प्रमुख ज्ञानियों, निर्मलों और उदासियों सिहत सिख नेताओं की एक बैठक आयोजित की गई। उनके विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, तत्कालीन कानून के तहत 'श्री गुरु सिंह सभा' नामक सभा का गठन किया गया। सिंह सभा आंदोलन के उद्देश्य, सिख धर्म के सिद्धांतों का शुद्ध रूप में प्रसार करना, अस्पृश्यता को दूर करना, जन्म, विवाह और मृत्यु के समय सिखों के समारोहों के तौर तरीके सिखाना, सिख धर्म और इतिहास पर साहित्य प्रकाशित करना, गुरुमुखी की शिक्षा को प्रचारित करना ,धर्म त्याग चुके लोगों को पुनः धर्म में वापस लाना और सिखों एवं दूसरों को माध्यिमक और उच्च शिक्षा प्रदान करना था। इसलिए, केवल कथन (b) सही नहीं है।

79.A

- The National Afforestation and Eco-Development Board (NAEB), set up in August 1992, is responsible for promoting afforestation, tree planting, ecological restoration and eco-development activities in the country, with special attention to the degraded forest areas and lands adjoining the forest areas, national parks, sanctuaries and other protected areas as well as the ecologically fragile areas like the Western Himalayas, Aravallis, Western Ghats, etc. The detailed role and functions of the NAEB are given below.
 - Evolve mechanisms for ecological restoration of degraded forest areas and adjoining lands through systematic planning and implementation, in a cost effective manner;
 - Restore through natural regeneration or appropriate intervention the forest cover in the country for ecological security and to meet the fuelwood, fodder and other needs of the rural communities;
 - Restore fuelwood, fodder, timber and other forest produce on the degraded forest and adjoining lands in order to meet the demands for these items;
 - Sponsor research and extension of research findings to disseminate new and proper technologies for the regeneration and development of degraded forest areas and adjoining lands;
 - Create general awareness and help foster people's movement for promoting afforestation and eco-development with the assistance of voluntary agencies, non-government organisations,
 Panchayati Raj institutions and others and promote participatory and sustainable management of degraded forest areas and adjoining lands;
 - Coordinate and monitor the Action Plans for afforestation, tree planting, ecological restoration and eco-development; and
 - Undertake all other measures necessary for promoting afforestation, tree planting, ecological restoration and eco-development activities in the country.
- NAEB is headed by the Minister for Environment, Forest and Climate Change.

राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड (NAEB) का गठन अगस्त 1992 में किया गया था। यह देश में वनीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकीय पुनर्नवीकरण और पारिस्थितिकीय विकास संबंधी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। इसके तहत निम्नीकृत वन क्षेत्रों और वन क्षेत्रों की समीपवर्ती भूमि, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों के साथ ही पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, जैसे पश्चिमी हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट, इत्यादि के आसपास की भूमि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। NAEB की विस्तृत भूमिका और कार्यों का वर्णन निम्नलिखित है-

- लागत प्रभावी तरीके से, क्रमिक योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन के माध्यम से वनों के हास और आस-पास की भूमि के पारिस्थितिकीय पुनर्नवीकरण के लिए तंत्र विकसित करना;
- देश में पारिस्थितिकीय सुरक्षा हेतु वन क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन के माध्यम से वनावरण में विस्तार और ग्रामीण समुदायों के लिए जलावन की लकड़ी, चारे और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना;
- जलावन की लकड़ी, चारे, इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पादनों की मांग को पूरा करने के लिए क्षरित वनीय भूमि और उसके आसपास की भूमि पर इनकी प्नः स्थापना;
- वन क्षेत्रों एवं इनके आस-पास की भूमि में होने वाले ह्रास के पुनर्नवीकरण हेतु नवीन और उचित प्रौद्योगिकियों का प्रसार करने के लिए प्रायोजित अन्संधान तथा अन्संधान के शोध निष्कर्षों का विस्तार करना;

- सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देना और स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य को प्रोत्साहित करना। साथ ही वन हास वाले क्षेत्रों और उनके आसपास की भूमि के सहभागी तथा धारणीय प्रबंधन के साथ वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय-विकास को बढ़ावा देने हेत् जन आंदोलन को प्रोत्साहित करना;
- वनीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकीय पुनर्नवीकरण तथा पारिस्थितिकीय विकास हेतु कार्य योजनाओं का समन्वयन और निगरानी करना; और
- देश में वनीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकीय पुनर्नवीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु अन्य आवश्यक कदम उठाना।

NAEB की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा की जाती है। 80 D

- Chola Kingdom (River Kaveri):Rajaraja Chola I (c. 985 c. 1014 CE) During his reign, the Cholas expanded beyond South India with their domains stretching from Sri Lanka in the south to Kalinga in the north. Raja Raja Chola also launched several naval campaigns that resulted in the capture of the Malabar Coast as well as the Maldives and Sri Lanka. Raja Raja built the Brihadeswarar Temple in Thanjavur. During his reign, the texts of the Tamil poets Appar, Sambandar and Sundarar were collected and edited into one compilation called Thirumurai.
- Vijanagara Kingdom (River Tungabhadra) Harihara I and his brother Bukka were originally in the service
 of the Kakatiya ruler of Warangal. Later they joined the ruler of Kampili and, on the annexation of that
 principality to the Delhi sultanate, were taken prisoners and carried to Delhi. In 1336, Muhammad bin
 Tughlaq allowed them to return to Kampili, where they started a rebellion. In the course of this rebellion, the
 city of Vijayanagar was founded on the bank of the Tungabhadra River. Within a decade or so, the two
 brothers established their control over the whole valley of Tungabhadra.
- Pallava Dynasty(River Kaveri) Mahendravarman I (600-630 A.D.) was the msot remarkable of the Pallavas monarch. A ardent Jaina in his earlier life, he was later persuaded by one Appar, a Saiva saint, to worship Siva. He introduced a new technique in the temple architecture. He carved out temples from huge rocks without using bricks, wood and mortar. It is considered to be an innovation in the field of South Indian art and architecture. Therefore, he was called as Vichitrachitha. These temples are known as rock-cut temples or cave temples.
- Kakatiya Kingdom (River Godavari): The 12th and the 13th centuries saw the emergence of the Kakatiyas. They were at first the feudatories of the Western Chalukyas of Kalyana, ruling over a small territory near Warangal. Prataparudra II(A.D.1295 and ruled till A.D.1323) He pushed the western border of his kingdom up to Raichur. He introduced many administrative reforms. He divided the kingdom into 75 Nayakships, which was later adopted and developed by the Rayas of Vijayanagara. In his time the territory constituting Andhra Pradesh had the first experience of a Muslim invasion. In A.D.1303, the Delhi Sultan Ala-ud-din Khilji sent an army to plunder the kingdom. But Prataparudra defeated them at Upparapalli in Karimnagar district. In A.D. 1310, when another army under Malik Kafur invaded Warangal, Prataparudra yielded and agreed to pay a large tribute. In A.D.1318, when Ala-ud-din Khilji died, Prataparudra withheld the tribute. It provoked another invasion of the Muslims. In A.D.1321, Ghiaz-ud-din Tughlag sent a large army under Ulugh Khan to conguer the Telugu country then called Tilling. He laid siege to Warangal, but owing to internal dissensions he called off the siege and returned to Delhi. Within a short period, he came back with a much bigger army. In spite of unpreparedness, Prataparudra fought bravely. For want of supplies, he surrendered to the enemy who sent him to Delhi as a prisoner, and he died on the way. Thus, ended the Kakatiya rule, opening the gates of the Telugu land to anarchy and confusion yielding place to an alien ruler.
- चोल सामाज्य (कावेरी नदी): राजराजा चोल । (985 से 1014 शताब्दी) इसके शासनकाल के दौरान चोलों का विस्तार दक्षिण में श्रीलंका और उत्तर में किलोंग तक हुआ। राजराजा चोल ने कई नौसैनिक अभियान भी किये जिनके परिणामस्वरूप मालाबार तट के साथ-ही मालदीव और श्रीलंका पर भी चोलों का अधिकार हो गया। राजराजा ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। अपने शासनकाल के दौरान, तमिल कवियों अप्पर, संबंदर और सुंदरार के ग्रंथों को एकत्रित करके एक संकलन में संपादित किया गया, जिसे थिरुम्राई कहा जाता है।
- विजयनगर साम्राज्य (तुंगभद्रा नदी): हरिहर । और उसका भाई बुक्का मूल रूप से वारंगल के काकतीय शासक की सेवा में थे। बाद में वे कम्पिली के शासक की सेवा में शामिल हो गए। दिल्ली सल्तनत दवारा इस रियासत पर अधिकार के पश्चात उन्हें हिरासत

- में ले लिया गया और दिल्ली ले जाया गया। 1336 में, मुहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें कम्पिली वापस जाने की अनुमति दी, जहां उन्होंने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के दौरान तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर शहर स्थापित किया गया था। एक दशक के भीतर दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा की पूरी घाटी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया।
- पल्लव राजवंश (कावेरी नदी): महेंद्रवर्मन I (600-630 ई.) पल्लव साम्राज्य का सबसे उल्लेखनीय शासक था। वह अपने प्रारंभिक जीवन में जैन था, बाद में एक अप्पर (शैव संत) ने उसे शिव की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने मंदिर वास्तुकला में एक नई तकनीक प्रारंभ की। उसने ईंट, लकड़ी और गारे (मोर्टर) का उपयोग किए बिना, बड़ी चट्टानों से मंदिरों का निर्माण करवाया। इसे दक्षिण भारतीय कला और वास्तुकला के क्षेत्र में एक नवीन पहल माना जाता है। इसलिए, उसे विचित्र चित्त कहा जाता था। इन मंदिरों को चट्टान को काटकर (रॉक-कट) बनाए गए मंदिर या गुफा मंदिरों के नाम से जाना जाता है।
- काकतीय साम्राज्य (गोदावरी नदी): 12वीं और 13वीं सदी में काकतीय वंश का उद्भव हुआ। वे इससे पूर्व कल्याण के पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे और वारंगल के पास एक छोटे से क्षेत्र पर शासन करते थे। प्रतापस्द्र ॥ (शासनकाल 1295 से 1332 ई.) ने अपने राज्य की पश्चिमी सीमा को रायचूर तक विस्तारित किया। उसने कई प्रशासनिक सुधार किये। उसने राज्य को 75 नायकों में विभाजित किया था। इस व्यवस्था को बाद में विजयनगर के राय शासकों ने अपनाया और विकसित किया। उसके समय में आंध्र प्रदेश क्षेत्र में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ। 1303 ई. में, दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य को लूटने के लिए एक सेना भेजी लेकिन प्रतापरूद्र ने उसे करीमनगर जिले के उप्परापल्ली में पराजित कर दिया। 1310 ई. में, जब मलिक काफूर के अधीन एक अन्य सेना ने वारंगल पर हमला किया, तो प्रतापरूद्र ने आत्मसमर्पण कर एक बड़ी भेंट प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। 1318 ई. में जब अलाउद्दीन खिलजी का निधन हो गया तो प्रतापरूद्र ने भेंट प्रदान करना रोक दिया। इस बात ने मुसलमानों को एक और आक्रमण करने के लिए उकसाया। 1321 ई. में, गयासुद्दीन तुगलक ने तेलुगू देश (उस समय तिलिंग कहा जाता था) को जीतने के लिए उलुग खान के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। उसने वारंगल को घेर लिया लेकिन आंतरिक असंतोष के कारण उसने घेराबंदी हटा ली और दिल्ली वापस लौट गया। एक छोटी सी अवधि के भीतर, वह एक बड़ी सेना के साथ वापस लौटा। तैयारी न होने के बावजूद प्रतापरूद्र ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया। आपूर्ति की कमी के कारण, उसने शत्रु के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे कैदी के रूप में दिल्ली भेजा जा रहा था किन्तु रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार, काकातीय शासन समाप्त हो गया। इससे तेलुगू भूमि पर अराजकता और भ्रम की स्थित उत्पन्न हो गई और इसने एक विदेशी शासन के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

81.B

- Harike is one of the largest man-made wetlands of northern India which shares its area with the Tarntaran, Ferozpur and Kapurthala districts of Punjab.
- It came into existence in 1952 after the construction of barrage near the confluence of rivers Sutlej and Beas.
- Harike is a significant abode for the birds migrating from across the international frontiers. The wetland area
 is spread over about 41 km2 and supports more than 400 avian species. In addition to haven for birds,
 Harike also harbours endangered aquatic mammalian as well as reptilian fauna like Indus river dolphin,
 smooth-coated otter and seven species of rare freshwater turtles.
- An area of about 86 km2 has been notified as wildlife sanctuary. Considered a wetland of international
 importance especially as waterfowl refuge, this site was accorded the wetland status in 1990 by the Ramsar
 Convention.
- हिरिके उत्तर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। इसके क्षेत्र का विस्तार पंजाब के तरनतारण, िफरोजपुर और कपूरथला जिलों में है।
- यह 1952 में सतलज और ब्यास निदयों के संगम के निकट बैराज के निर्माण के पश्चात अस्तित्व में आयी।
- हिरके अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार कर आने वाले प्रवासी पिक्षयों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है। यह आर्द्रभूमि क्षेत्र लगभग 41 वर्ग किमी में फैला है और 400 से अधिक पक्षी प्रजातियों से समृद्ध है। पिक्षयों के लिए स्वर्ग होने के साथ ही हिरके लुप्तप्राय जलीय स्तनधारियों हेतु आश्रय स्थल भी है और साथ ही सरीसृपों जैसे सिंधु नदी डॉल्फ़िन स्मूथ कोटेड ओटर और दुर्लभ मीठे पानी के कछुओं की सात प्रजातियों का भी शरण स्थल है।
- लगभग 86 वर्ग किमी क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि माना जाता है। इस स्थल को 1990 में रामसर कन्वेंशन दवारा आर्द्रभूमि का दर्जा प्रदान किया गया था।

82.B

- The 'Nagpur Session' of Indian National Congress in 1920 was landmark Session of Indian National Congress because-
 - Resolution on non cooperation was adopted
 - Gandhiji's promise Swaraj within a year
 - Programme of extra-constitutional mass action was committed

- Some important organisational changes were made
- Lahore session of 1929 declared attainment of poorna swaraj as its objective.
- The programme of individual satyagraha started in 1940s as a consequence of August offer.
- The resolution on Fundamental rights and the National Economic Programme was passed during the Karachi Session of 1931.
- 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 'नागपुर अधिवेशन' एक ऐतिहासिक अधिवेशन था क्योंकि-
- o असहयोग आन्दोलन कार्यक्रम के प्रस्ताव को स्वीकर कर लिया गया।
- गांधीजी दवारा एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया।
- संविधानेतर जन कार्रवाई कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की गई।
- o कुछ महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन भी किए गए।
 - कांग्रेस दवारा अपने **प्रमुख उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज प्राप्ति की घोषणा** 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गयी।
 - व्यक्तिगत सत्याग्रह का कार्यक्रम 1940 में अगस्त प्रस्ताव के परिणामस्वरूप प्रारंभ हुआ।
 - **मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रस्ताव** 1931 के कराची अधिवेशन के दौरान पारित किया गया।

83.C

Wegener suggested that the movement responsible for the drifting of the continents was **caused by pole-fleeing force and tidal force**. The polar-fleeing force relates to the rotation of the earth.

You are aware of the fact that the earth is not a perfect sphere; it has a bulge at the equator. **This bulge is due to the rotation of the earth.**

The second force that was suggested by Wegener — the tidal force is due to the attraction of the moon and the sun that develops tides in oceanic waters. Wegener believed that these forces would become effective when applied over many million years. However, most of scholars considered these forces to be totally inadequate.

It is interesting to note that for continental drift, most of the evidence was collected from the continental areas in the form of distribution of flora and fauna or deposits, like tillite. A number of discoveries during the post–World War II period added new information to geological literature. Particularly, the information collected from the ocean floor mapping provided new dimensions for the study of distribution of oceans and continents.

वेगेनर ने सुझाया कि महाद्वीपीय विस्थापन हेतु जिम्मेदार गतिविधि **ध्रुवीय फ्लीइंग बल और ज्वारीय बल के कारण** हुई थी। ध्रुवीय फ्लीइंग बल का संबंध पृथ्वी के घूर्णन के साथ है।

आपको पता होगा कि पृथ्वी एक पूर्णतया गोलाकार नहीं; विषुवत रेखा के पास इसमें इसमें एक उभार है। **यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण** है।

वेगेनर द्वारा सुझाया गया दूसरा बल **(ज्वारीय बल) चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण है जो महासागरीय जल में ज्वार ला देता** है।वेगेनर का मानना था कि बल तभी प्रभावी होंगे जब वे कई मिलियन वर्षों तक लगते रहेंगे। **हालांकि, अधिकाँश विद्वानों ने इन बलों को** पूर्णतया अपर्याप्त माना।

यह जानना दिलचस्प होगा कि महाद्वीपीय विस्थापन हेतु अधिकाँश प्रमाण महाद्वीपीय क्षेत्रों से पादपों और जीव जंतुओं के निक्षेपों (जैसे टिलाईट) के वितरण के रूप में एकत्र किए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की अवधि में की गई अनेक खोजों ने भूवैज्ञानिक साहित्य को समृद्ध किया। विशेषकर, महासागर के सतह मानचित्रण से प्राप्त सूचना ने महासागरों एवं महाद्वीपों के वितरण के संबंध में नए आयाम प्रदान किए।

84.B


The earth is composed of various kinds of elements. These elements are in solid form in the outer layer of the earth and in hot and molten form in the interior.

About 98 per cent of the total crust of the earth is composed of eight elements like **oxygen**, **silicon**, **aluminium**, **iron**, **calcium**, **sodium**, **potassium** and **magnesium** and the rest is constituted by titanium, hydrogen, phosphorous, manganese, sulphur, carbon, nickel and other elements.

The elements in the earth's crust are rarely found exclusively but **are usually combined with other elements to make various substances**. These substances are recognised as minerals

पृथ्वी अनेक प्रकार के तत्वों से बनी है। ये तत्व **पृथ्वी की बाहरी परत में ठोस अवस्था में और आंतरिक भाग में गर्म व पिघली अवस्था में हैं।** भूपर्पटी का 98 प्रतिशत भाग आठ तत्वों नामतः **ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमीनियम, लौह, कैल्शियम, सोडियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम** से बना है तथा शेष में टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फ़ास्फ़रोस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल और अन्य तत्व हैं।

भूपर्पटी के तत्त्व दुर्लभत: ही मुक्त अवस्था में मिलते हैं और अधिकांशत: **ये अन्य तत्वों के साथ यौगिक के रूप में प्राप्त होते हैं।** इन पदार्थों को खनिज कहा जाता है।



85.A

Some major minerals and their characteristics

Feldspar

Silicon and oxygen are common elements in all types of feldspar and sodium, potassium, calcium, aluminium etc. are found in specific feldspar variety. Half of the earth's crust is composed of feldspar. It has light cream to salmon pink colour. It is used in ceramics and glass making.

Quartz

It is one of the most **important components of sand and granite.** It consists of silica. It is a hard mineral virtually insoluble in water. It is white or colourless and **used in radio and radar.** It is one of the most important components of granite.

Pvroxene

Pyroxene consists of calcium, aluminum, magnesium, iron and silica. Pyroxene **forms 10 per** cent of the earth's crust. It is **commonly found in meteorites**. It is in green or black colour.

<u>Amphibole</u>

Aluminium, calcium, silica, iron, magnesium are the major elements of amphiboles. They form 7 per cent of the earth's crust. It is in green or black colour and is used in asbestos industry. Hornblende is another form of amphiboles.

Mica

It comprises of potassium, aluminium, magnesium, iron, silica etc. It forms 4 per cent of the earth's crust. It is commonly found in igneous and metamorphic rocks. It is used in electrical instruments.

कुछ प्रमुख खनिज और उनकी विशेषताएं

फेल्सपार

सिलिकॉन और ऑक्सीजन सभी प्रकार के फेल्सपार में एक साझा तत्त्व है तथा सोडियम, पोटैशियम, कैल्शियम, एल्युमीनियम आदि फेल्सपार की विशिष्ट किस्म में मिलते हैं। भूपर्पटी का आधा भाग फेल्सपार का बना है। इसका रंग हल्का क्रीम से लेकर साल्मन पिंक जैसा होता है। यह मुख्यत: सिरेमिक और कांच बनाने में प्रयुक्त होता है।

क्वॉर्ट्स

यह बालू व ग्रेनाइट का सबसे महत्वपूर्ण अवयवों में से एक है। इसमें सिलिका होती है। यह एक कठोर खनिज है जो जल में लगभग अघुलनशील है। यह सफ़ेद अथवा रंगहीन होता है और रेडियो व राडार में प्रयुक्त होता है। यह ग्रेनाइट के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयवों में से एक है।

<u>पाडरॉक्सीन</u>

पाइरॉक्सीन में कैल्शियम, एल्युमीनियम, मैग्नीशियम, लौह और सिलिका होती है। पाइरॉक्सीन भूपर्पटी के **10 प्रतिशत भाग** का निर्माण करता है। यह **उल्कापिंडों में आमतौर पर पाया जाता है**। इसका रंग हरा अथवा काला होता है।

<u>एम्फीबोल</u>

एल्युमीनियम, कैल्शियम, सिलिका, लौह, मैग्नीशियम एम्फीबोल के प्रमुख तत्त्व हैं। भूपर्पटी **का 7 प्रतिशत भाग इनसे बना है**। इसका रंग हरा अथवा काला होता है और **एस्बेस्टस उदयोग में इनका प्रयोग** होता है। हॉर्नब्लेंडे एम्फीबोल का अन्य प्रकार है।

KUMAR'S IAS

PCS

<u> अधक</u>

इसमें पोटैशियम, एल्युमीनियम, मैग्नीशियम, लौह, सिलिका इत्यादि होते हैं। भूपर्पटी का 4 प्रतिशत भाग इससे बना है। इलेक्ट्रिकल उपकरणों में इसका प्रयोग होता है।

86.D

Igneous rocks form **out of magma and lava from the interior of the earth**, they are known **as primary rocks**. The igneous rocks (Ignis – in Latin means 'Fire') are formed when magma cools and solidifies. When magma in its upward movement cools and turns into solid form it is called igneous rock.

The process of cooling and solidification can happen in the earth's crust or on the surface of the earth.

Igneous rocks are **classified based on texture**. Texture depends upon size and arrangement of grains or other physical conditions of the materials. If molten material is cooled slowly at great depths, mineral grains may be very large. Sudden cooling (at the surface) results in small and smooth grains. Intermediate conditions of cooling would result in intermediate sizes of grains making up igneous rocks.

Granite, gabbro, pegmatite, basalt, volcanic breccia and tuff are some of the examples of igneous rocks.

आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले मैग्मा व लावा से निर्मित होती हैं और इन्हें प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। आग्नेय चट्टानें (इग्निस– 'फायर' हेतु लैटिन शब्द) तब बनती हैं जब मैग्मा ठंडा होकर ठोस होता है। जब मैग्मा ऊपर आने के क्रम में ठंडा होता है और ठोस में बदलता है, इसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है।

ठंडा और ठोस होने की प्रक्रिया भूपर्पटी अथवा पृथ्वी की सतह पर हो सकती है।

आग्नेय चट्टानें का **वर्गीकरण उनकी बनावट के आधार पर** किया जाता है। बनावट, आकार व रवों की क्रमसज्जा अथवा सामग्री की अन्य भौतिक दशाओं पर निर्भर करती है। यदि पिघला पदार्थ अत्यंत गहराई में धीरे-धीरे ठंडा हो तो खनिज रवे बहुत बड़े हो सकते हैं। तेजी से ठंडा होने (सतह पर) रवे छोटे और चिकने होते हैं। ठंडा होने में इन दोनों के बीच की अवस्था से आग्नेय चट्टानों के रवे भी बीच के आकार के हो जाते हैं।

ग्रेनाइट, गब्ब्रो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट, वोल्कैनिक ब्रेसिया और टफ आग्नेय चट्टानों के कुछ उदाहरण हैं।

87.A

Hardness refers to relative resistance when being scratched.

Ten minerals are selected to measure the degree of hardness from 1-10.

They are: 1. talc; 2. gypsum; 3. calcite; 4. fluorite; 5. apatite; 6. feldspar; 7. quartz; 8. topaz; 9. corundum; 10. diamond.

Compared to this for example, a fingernail is 2.5 and glass or knife blade is 5.5.

कठोरता से आशय है खुरचे जाने पर होने वाला सापेक्ष प्रतिरोध।

कठोरता के स्तर को 1-10 तक मापने के लिए दस खनिजों का चुनाव किया जाता है।

वे हैं: 1. टैल्क; 2. जिप्सम; 3. कैल्साइट; 4. फ्लोराइट; 5. एपेटाइट; 6. फेल्सपार; 7. क्वॉर्ट्स; 8. टोपाज; 9. करन्डम; 10. हीरा। उदाहरण के लिए तुलना करने पर, **ऊँगली का नाख़न 2.5** एवं **चाकृ का ब्लेड 5.5** होता है।

88.A

The earth's crust is dynamic. The differences in the internal forces operating from within the earth which built up the crust have been responsible for the variations in the outer surface of the crust. The earth's surface is being continuously subjected to external forces induced basically by energy (sunlight)

The earth's surface is being continuously subjected to by external forces originating within the earth's atmosphere and by internal forces from within the earth. The **external forces are known as exogenic forces and the internal forces are known as endogenic forces**. The actions of exogenic forces result in wearing down (degradation) of relief/elevations and filling up (aggradation) of basins/ depressions, on the earth's surface.

The phenomenon of wearing down of relief variations of the surface of the earth through erosion is known as gradation.

भूपर्पटी गत्यात्मक है। पृथ्वी के भीतर से कार्य कर रहे वे अंतर्जनित बल जिन्होंने भूपर्पटी का निर्माण किया है, का अंतर भूपर्पटी की बाहय सतह में अंतरों हेत् उत्तरदायी है। पृथ्वी की सतह पर निरंतर उर्जा (सौर प्रकाश) से प्रेरित बहिर्जनित बल कार्य करते रहते हैं।

पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी के वायुमंडल से उत्पन्न बहिर्जनित बल तथा पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाले आंतरिक बल निरंतर कार्य करते रहते हैं। **बाह्य बलों को बहिर्जनित बल और आंतरिक बलों को अंतर्जनित बल कहा जाता है।** अंतर्जनित बलों के प्रभाव से उच्चावच का क्षरण(निम्नीकरण) और पृथ्वी की सतह पर मौजूद बेसिन/गतों का भराव होता है।

अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह के उच्चावच के क्षरण में अंतर की परिघटना श्रेणीकरण (ग्रेडेशन) कहलाती है।

89.B

Physical or mechanical weathering processes depend on some applied forces. The applied forces could be:

- · Gravitational forces such as overburden pressure, load and shearing stress, exfoliation.
- · Expansion forces due to temperature changes, crystal growth or animal activity.
- · Water pressures controlled by wetting and drying cycles.

Many of these forces are applied both at the surface and within different earth materials leading to rock fracture. Most of the physical weathering processes are caused by thermal expansion and pressure release.

These processes are small and slow but can cause great damage to the rocks because of continued fatigue the rocks suffer due to repetition of contraction and expansion.

Solution, carbonation, hydration and oxidation and reduction are examples of chemical weathering processes.

भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय प्रक्रियाएं कुछ अनुप्रयुक्त (एप्लाइड) बलों पर निर्भर करती हैं। अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित हो सकते हैं:

- 1) गुरुत्व बल जैसे अति-बोझ दाब, बोझ और अपरूपक प्रतिबल, अपपर्णन (एक्स्फोलीएशन)।
- 2) तापमान परिवर्तन, क्रिस्टल वृद्धि अथवा जंत् गतिविधि के कारण प्रसार बल
- 3) नम व शृष्क चक्रों दवारा नियंत्रित होने वाले जल दाब

इनमें से अनेक बल सतह और भू सामग्रियों के भीतर लगते हैं जिनसे चट्टान विभंजन होता है। अधिकतर भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं तापीय प्रसार और दाब निर्मुक्ति द्वारा घटित होती हैं

ये प्रक्रियाएं छोटी एवं धीमी होती हैं किंतु चट्टान को बहुत क्षिति पहुँचा सकती हैं क्योंकि निरंतर थकान के कारण चट्टान संकुचन और विस्तारण का सामना करती है।

मिश्रण, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन और ऑक्सीकरण व अवकरण रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं के उदाहरण हैं।

In humid regions, which receive heavy rainfall running water is considered the most important of the geomorphic agents in bringing about the degradation of the land surface. There are two components of running water. One is overland flow on general land surface as a sheet. Another is linear flow as streams and rivers in valleys.

The characteristics of each of the stages of landscapes developing in running water regimes are as follows

Youth

Streams are few during this stage with poor integration and flow over original slopes showing shallow V-shaped valleys with no floodplains or with very narrow floodplains along trunk streams. Streams divides are broad and flat with marshes, swamp and lakes. Meanders if present develop over these broad upland surfaces. These meanders may eventually entrench themselves into the uplands. **Waterfalls and rapids may exist where local hard rock bodies are exposed.**

Mature

During this stage streams are plenty with good integration. The valleys are still V-shaped but deep; trunk streams are broad enough to have wider floodplains within which streams may flow in meanders confined within the valley. The flat and broad inter stream areas and swamps and marshes of youth disappear and the stream divides turn sharp. **Waterfalls and rapids disappear.**

Old

Smaller tributaries during old age are few with gentle gradients. Streams meander freely over vast floodplains showing natural levees, oxbow lakes, etc. Divides are broad and flat with lakes, swamps and marshes. Most of the landscape is at or slightly above sea level.

नम क्षेत्र, जहाँ भारी वर्षा होती है, बहते जल को सबसे महत्वपूर्ण भूआकृतिक कारक समझा जाता है, जिसके कारण भूमि की सतह का निम्नीकरण होता है। बहते जल के दो अवयव हैं। एक है एक शीट की तरह की भूमि सतह पर बहने वाला ओवरलैंड बहाव। दूसरा है रेखीय बहाव जैसे घाटियों में धाराएं व नदियां।

बहते जल के प्रभाव में भृदृश्य विकास के प्रत्येक चरण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

तरुण

इस अवस्था में धाराएं कम होती हैं तथा मूल ढलान पर उनका एकीकरण और बहाव कमजोर होता है। इसके परिणामस्वरूप V-आकार की घाटियाँ बनती हैं जिनका ट्रंक धाराओं के निकट बनने वाला बाढ़ का मैदान या तो नहीं होता या अत्यंत संकरा होता है। धारा विभाजन वृहत और सपाट होते हैं जिनमें मार्श, दलदल और झीलें होती हैं। विसर्प इन विस्तृत ऊपरी भू-सतहों पर विकसित होते हैं। ये विसर्प ऊँची भूमि में सामान्यत: अपने चारों ओर खाई का निर्माण कर लेते हैं। जहाँ कठोर चट्टानें अनावृत हो जाती हैं, वहाँ जलप्रपातों और क्षिप्रिकाओं का निर्माण हो सकता है।

प्रौढ़

इस चरण के दौरान धाराओं में बहुतायत में एकीकरण होता है। घाटियाँ अभी भी V-आकार की किंतु गहरी होती हैं; ट्रंक स्ट्रीम्स इतनी विस्तृत होती हैं कि उनका बाढ़ का क्षेत्र भी इतना बड़ा होता है जिसमें घाटी के भीतर रहकर ही धाराएं विसर्पी प्रकार से बह सकें। सपाट व विस्तृत आंतरिक धारा का क्षेत्र और युवावस्था में निर्मित दलदली क्षेत्र व मार्श गायब हो जाते हैं तथा धारा विभाजक तीव्र हो जाते हैं। जलप्रपात व क्षिप्रिकाएं भी गायब हो जाती हैं।

जीर्ण

जीर्ण आयु के दौरान छोटी सहायक नदियाँ कोमल ढाल के साथ संख्या में कम होती हैं। धाराएं विशाल बाढ़ मैदान पर विसर्पी आकार में मुक्त रूप से बहती हैं और प्राकृतिक तटबंध व गोखुर झीलों का निर्माण करती हैं। विभाजक झीलों, दलदली क्षेत्रों व मार्श के साथ विस्तृत व सपाट होते हैं। अधिकांश भृदृश्य समृद्र स्तर पर अथवा उससे थोड़ा ऊपर होता है।

91.B

Masses of ice moving as sheets over the land (continental glacier or piedmont glacier if a vast sheet of ice is spread over the plains at the foot of mountains) or as linear flows down the slopes of mountains in broad trough-like valleys (mountain and valley glaciers) are called glaciers.

A glacier in its **valley is slow unlike water flow.** The movement could be a few centimetres to a few metres a day or even less or more. Glaciers move basically **because of the force of gravity.**

Erosion by glaciers is tremendous because of **friction caused by sheer weight of the ice**. The material plucked from the land by glaciers (usually large-sized angular blocks and fragments) get dragged along the floors or sides of the valleys and cause great damage through abrasion and plucking.

Glaciers can cause significant damage to even un-weathered rocks and can reduce high mountains into low hills and plains. As glaciers continue to move, debris gets removed, divides get lowered and eventually the slope is reduced to such an extent that glaciers will stop moving leaving only a mass of low hills and vast outwash plains along with other depositional features.

Delta is a depositional landform formed by running river not glacier.

Erosional landforms formed by glaciers

- 1) Cirque
- 2) Horns and serrated ridges
- 3) Glacial valleys/troughs

Depositional landforms formed by glaciers

- 1) Moraines
- 2) Eskers
- 3) Outwash plains
- 4) Drumlins

बर्फ की बड़ी मात्रा का भूमि पर शीट के रूप में गति करना (महाद्वीपीय हिमनद अथवा पिडमांट हिमनद, यदि बर्फ की एक बड़ी शीट समतल मैदान अथवा गिरिपाद क्षेत्र में फैली है) अथवा विस्तृत कुंडनुमा घाटियों (पर्वत और घाटी हिमनद) में पर्वतों की ढलानों पर रेखीय रूप से बहने को हिमनद कहा जाता है।

अपनी घाटी में एक हिमनद जल प्रवाह की अपेक्षा धीमा होता है। यह गित प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर या इससे कुछ कम-ज्यादा हो सकती है। हिमनद मुख्यत: गुरुत्वाकर्षण के कारण गित करते हैं।

बर्फ के कुल भार के कारण होने वाले घर्षण के चलते हिमनदों द्वारा किया जाने वाला अपरदन जबरदस्त होता है। हिमनदों द्वारा जमीन से उठाई गई सामग्री (सामान्यत: बड़े आकार के नुकीले ब्लॉक्स व टुकड़े) सतहों अथवा घाटियों के किनारों के साथ-साथ घिसटती जाती है और अपकर्षण तथा उत्पाटन के माध्यम से काफी क्षति करती है।

हिमनद यहाँ तक कि बिना अपक्षय हुई चट्टानों को भी भारी क्षति पहुँचा सकते हैं और उन्हें ऊँचे पर्वतों को नीची पहाड़ियों व समतल मैदान में बदल सकते हैं। जब हिमनद गति करते हैं, मलबा हट जाता है, विभाजक नीचे हो जाते हैं और ढलान इतनी नीची हो जाती हैं कि हिमनद गति करना बंद कर देते हैं और अपने पीछे अन्य निक्षेपित विशेषताओं के साथ-साथ नीची पहाड़ियां व विस्तृत हिमानीधौत-मैदान छोड़ जाते हैं।

. डेल्टा एक निक्षेपित भूआकृति है जिसका निर्माण बहते जल द्वारा होता है, हिमनद द्वारा नहीं।

हिमनदों द्वारा निर्मित अपरदित भूआकृतियां

- 1) सर्क
- 2) गिरिश्रंग व सिरेटेड कटक
- 3) हिमनद घाटियाँ/गर्त

हिमनदों द्वारा निर्मित निक्षेपित भूआकृतियां

1) हिमोढ़

PCS

- 2) एस्कर
- 3) हिमानीधौत-मैदान
- 4) इमलिन

92.A

Weathering processes are conditioned by many complex **geological**, **climatic**, **topographic and vegetative factors**. Climate is of particular importance.

Not only weathering processes differ from climate to climate, but also the depth of the weathering mantle.

Chemical Weathering

Processes A group of weathering processes namely solution, carbonation, hydration, oxidation and reduction act on the rocks to decompose, dissolve or reduce them to a fine clastic state through chemical reactions by oxygen, surface and/or soil water and other acids.

Water and air (oxygen and carbon dioxide) along with heat must be present to speed up all chemical reactions. Over and above the carbon dioxide present in the air, decomposition of plants and animals increases the quantity of carbon dioxide underground.

These chemical reactions on various minerals are very much similar to the chemical reactions in a laboratory. अपक्षय प्रक्रियाओं हेतु परिस्थितियां अनेक जटिल **भूवैज्ञानिक, जलवायिवक, स्थलाकृतिक एवं वानस्पतिक कारकों** द्वारा निर्मित होती हैं। जलवाय् का विशेष महत्व है।

न केवल अपक्षय प्रक्रियाएं एक जलवायु से दूसरी जलवायु में भिन्न होती हैं, अपितु **अपक्षय आच्छादन की गहराई भी** भिन्न होती है। **रासायनिक अपक्षय**

अपक्षय प्रक्रियाओं का समूह A अर्थात मिश्रण, कार्बोनेशन, जलयोजन, ऑक्सीकरण व अवकरण चट्टान को ऑक्सीजन, सतही और/अथवा मृदा जल व अन्य अम्लों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अपघटित करने, उसे घोलने अथवा घटाकर छोटे टुकड़े हेतु कार्य करता है।

रासायनिक अभिक्रियाओं में तेजी लाने के लिए **उष्मा के साथ जल व वायु (ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड)** का उपस्थित होना आवश्यक है। इससे भी ज्यादा, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, **पादपों व जंतुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइडकी** मात्रा को बढ़ा देते हैं।

विभिन्न खनिजों पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं किसी प्रयोगशाला में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के सदृश ही हैं।

Base erosion and profit shifting (BEPS)

- · It refers to tax avoidance strategies that exploit gaps and mismatches in tax rules to artificially shift profits to low or no-tax locations.
- · The Inclusive Framework on BEPS brings together over 115 countries and jurisdictions to collaborate on the implementation of the OECD/ G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Package.
- · OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) and its members tackles tax avoidance by ensuring the implementation of the measures agreed through the BEPS Project, which targets multinational enterprises' aggressive tax planning practices.
- \cdot In particular, four "minimum standards" are at the core of the BEPS measures: harmful tax practices, treaty abuse, country-by-country reporting and dispute resolution mechanisms.

बेस इरोजन तथा प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS)

- इससे आशय उन कर कंचन रणनीतियों से जो कृत्रिम रूप से लाभों को कम अथवा बिना कर वाले स्थानों की ओर स्थानांतरित करने हेत् कर नियमों में मौजूद अंतरालों एवं असंत्लनों का दोहन करती हैं।
- BEPS पर समावेशी फ्रेमवर्क, 115 से अधिक देशों और उनके न्यायाधिकार क्षेत्रों को OECD/ जी20 बेस इरोजन तथा प्रॉफिट शिफ्टिंग(BEPS) पैकेज के कार्यान्वयन हेत् साथ लाता है।
- े बेस इरोजन तथा प्रॉफिट शिफ्टिंग पर OECD/G20 का समावेशी फ्रेमवर्क और इसके सदस्य, BEPS परियोजना के माध्यम से स्वीकृत उपायों (जो बहुराष्ट्रीय उद्यमों के आक्रामक कर नियोजन व्यवहारों को लक्षित करते हैं) का कार्यान्वयन सुनिश्चित कर कर वंचना से निपटते हैं।
- ि विशेषकर, चार "न्यूनतम मानक" BEPS उपायों के मूल में हैं: हानिकारक कर व्यवहार, संधि दुरूपयोग, देश दार देश रिपोर्टिंग तथा विवाद समाधान तंत्र।

94.C

Kumbh Mela was inscribed in 2017 in UNESCO's Lists of Intangible Cultural Heritage. Ramlila and Kutiyattam were inscribed in 2008.

कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में डाला गया था। रामलीला तथा कुट्टीयट्टम को 2008 में शामिल किया गया था।

95.C

The border is 699 km long, and adjoins the Indian states of Assam (267 km), Arunachal Pradesh (217 km), West Bengal (183 km), and Sikkim (32 km).

भूटान से भारत की सीमा की लम्बाई 699 किमी है और असम (267 किमी), अरुणाचल प्रदेश (217 किमी), प. बंगाल (183 किमी), तथा सिक्किम (32 किमी) के साथ लगती है।

96.C

AT2018cow

- It is a very bright celestial object seen close to the very small galaxy CGCG 137-068
- It is a powerful astronomical explosion, 10 100 times brighter than a normal supernova
- It is a **Type Ic supernova**. It is caused by the explosion of an extremely massive star which has lost its outer layers of hydrogen and helium.

Supernova

- It is a transient astronomical event that occurs during the last stellar evolutionary stages of a star's life, either a massive star or a white dwarf, whose destruction is marked by one final, titanic explosion.
- This causes the sudden appearance of a "new" bright star, before slowly fading from sight over several weeks or months or years.

AT2018cow

- यह एक बेहद चमकीला खगोलीय पिंड है जो CGCG 137-068 नामक छोटी आकाशगंगा के निकट देखी गई।
- · यह एक शक्तिशाली खगोलीय विस्फोट है जो एक सामान्य स्परनोवा से 10 100 ग्ना अधिक चमकीला है।
- यह **Ic प्रकार का सुपरनोवा** है। यह एक ऐसे अत्यंत बड़े तारे के विस्फोट से होता है जो अपनी हाइड्रोजन और हीलियम का बाहरी आवरण खो चुके हैं।

सुपरनोवा

- यह एक क्षणिक खगोलीय घटना है जो किसी तारे (जो या तो एक बड़ा तारा होता है या एक श्वेत वामन जिसका विनाश एक अंतिम विशाल विस्फोट दवारा दृष्टिगोचर होता है) के जीवन के अंतिम नक्षत्रीय विकास चरण के दौरान होती है।
- · इससे दृष्टि से धीरे-धीरे ओझल होने से पूर्व कई हफ्तों या महीनों या वर्षों तक अचानक एक "नया" चमकीला तारा दिखाई देता है।

97.D

The Foreign Direct Investment Confidence (FDI) Index prepared by A.T. Kearney is an annual survey which tracks the impact of likely political, economic, and regulatory changes on the foreign direct investment intentions and preferences of CEOs, CFOs, and other top executives of Global 1000 companies.

India was ranked 11th in the2018 index.

India remains the second highest ranked emerging market on the Index. A variety of recent reforms have made its regulatory environment more business friendly and economic growth is forecast to rebound this year.

फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस इंडेक्स एक वार्षिक सर्वे (जो 1000 वैश्विक कंपनियों के CEOs, CFOs, तथा अन्य उच्च कार्यकारी अधिकारियों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इरादों और प्राथमिकताओं पर संभावित राजनीतिक, आर्थिक और विनियामकीय परिवर्तनों के प्रभाव को देखता है) जो ए. टी. कियर्ने दवारा तैयार किया गया है।

भारत को 2018 के सूचकांक में 11 वीं रैंक मिली थी।

भारत को इस सूचकांक में दूसरे सबसे बड़े उभरते बाजार के रूप में रैंकिंग दी गई। हाल के कई सुधारों ने इसके विनियामकीय वातावरण को अधिक कारोबार-हितैषी बना दिया है तथा आर्थिक संवृद्धि के इस वर्ष प्न: लौटने की भविष्यवाणी की गई है।

98.C

The Ministry of Defence had constituted a Committee of Experts under the Chairmanship of Lt Gen (Retd) (Dr.) DB Shekatkar with a mandate to recommend measures for enhancing of Combat Capability & Rebalancing Defence Expenditure of the Armed Forces with an aim to increase "teeth to tail ratio".

रक्षा मंत्रालय ने लेफ्टिनेंट जनरल (से.नि.) डॉ. डीबी शेकटकर की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है जिसे 'टूथ टू टेल अनुपात' (एक सैन्य शब्दावली) बढाने के उद्देश्य के साथ सशस्त्र बलों की युद्धक क्षमता बढाने तथा रक्षा व्यय के पुनर्सतुलन का अधिदेश दिया गया है।

99.A

Uganda is a landlocked country in East Africa. It is bordered to the east by Kenya, to the north by South Sudan, to the west by the Democratic Republic of the Congo, to the south-west by Rwanda, and to the south by Tanzania. The

southern part of the country includes a substantial portion of Lake Victoria, shared with Kenya and Tanzania. Uganda is in the African Great Lakes region. Uganda also lies within the Nile basin, and has a varied but generally a modified equatorial climate.

The African Great Lakes are a series of lakes constituting the part of the Rift Valley lakes in and around the East African Rift. They include Lake Victoria, the third-largest fresh water lake in the world by area, and Lake Tanganyika, the world's second-largest freshwater lake by volume and depth. Countries in the African Great Lakes region (sometimes also called Greater Lakes region) include Burundi, the Democratic Republic of the Congo, Kenya, Rwanda, Tanzania and Uganda.

युगांडा पूर्वी अफ्रीका में एक भूंजाबद्ध देश है। इसकी सीमा पूर्व में केन्या, उत्तर में दक्षिणी सूडान, तथा पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य,दक्षिण-पश्चिम में रवांडा एवं दक्षिण में तंजानिया से लगती है। देश के दक्षिणी भाग में विक्टोरिया झील का एक बड़ा हिस्सा शामिल है जो केन्या और तंजानिया से भी लगता है। युगांडा अफ्रीका के महान झील क्षेत्र में पड़ता है। युगांडा नील द्रोणी क्षेत्र में भी पड़ता है तथा यहाँ भिन्न-भिन्न किंतु सामान्यत: परिवर्तित विष्वतीय जलवायु है।

अफ्रीका की महान झीलें, झीलों की एक श्रृंखला का नाम है जो पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश के इर्दगिर्द भ्रंश घाटी झीलों का भाग है। इनमें विक्टोरिया झील (क्षेत्रफल के हिसाब से साफ़ पानी की विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील) तथा तांगानिका झील (आयतन और गहराई के हिसाब से साफ़ पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील) शामिल हैं। अफ्रीका के महान झील क्षेत्र (जिसे आमतौर पर महान झील क्षेत्र भी कहा जाता है) के देशों में ब्रंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, रवांडा, तंजानिया और युगांडा शामिल हैं।



100.B

Salicornia

In News: Andhra Pradesh is exploring the possibilities to extract the salt substitute through various methods.

About

- It is a genus of succulent, halophyte (salt tolerant) flowering plants
- It is a plant that grows in abundance on salty marshes in the mangrove wetlands.
- The plant yields a salt substitute with low sodium content.
- They are widely distributed over the Northern Hemisphere and in southern Africa, ranging from the subtropics to subarctic regions. They are absent from South America and Australia

सेलिकोर्निया

सुर्ख़ियों में: आंध्रप्रदेश विभिन्न विधियों के माध्यम से इस लवण का स्थानापन्न प्राप्त करने की संभावनाएं तलाश रहा है। तथ्य

- · यह गूदेदार, लवण-सहिष्णु पृष्प पादपों की एक प्रजाति है।
- · यह ऐसा पौधा है जो मैंग्रोव आर्द्रभूमियों के लवणीय दलदली क्षेत्रों में प्रच्रता में उगता है।
- यह पौधा सोडियम की कम मात्रा वाले नमक के स्थानापन्न का उत्पादन करता है।
- े ये पौधे उत्तरी गोलार्द्ध एवं दक्षिणी अफ्रीका में व्यापक रूप से पाए जाते हैं तथा उपोष्णकिटबंधीय से लेकर उपआर्किटक क्षेत्रों तक इनका विस्तार है। ये दक्षिणी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलते।